तीसरी
वार्षिक रिपोर्ट
१९७८-७९

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक
पावर कारपोरेशन लिमिटेड

नैशनल
हाइड्रोइलैक्ट्रिक
पावर
कारपोरेशन लि.

विषय सूची

	पृष्ठ
निदेशक बोर्ड	3
नोटिस	4
अध्यक्षीय भाषण	5
निदेशकों की रिपोर्ट	8
लेखे	28
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	44
भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां	46

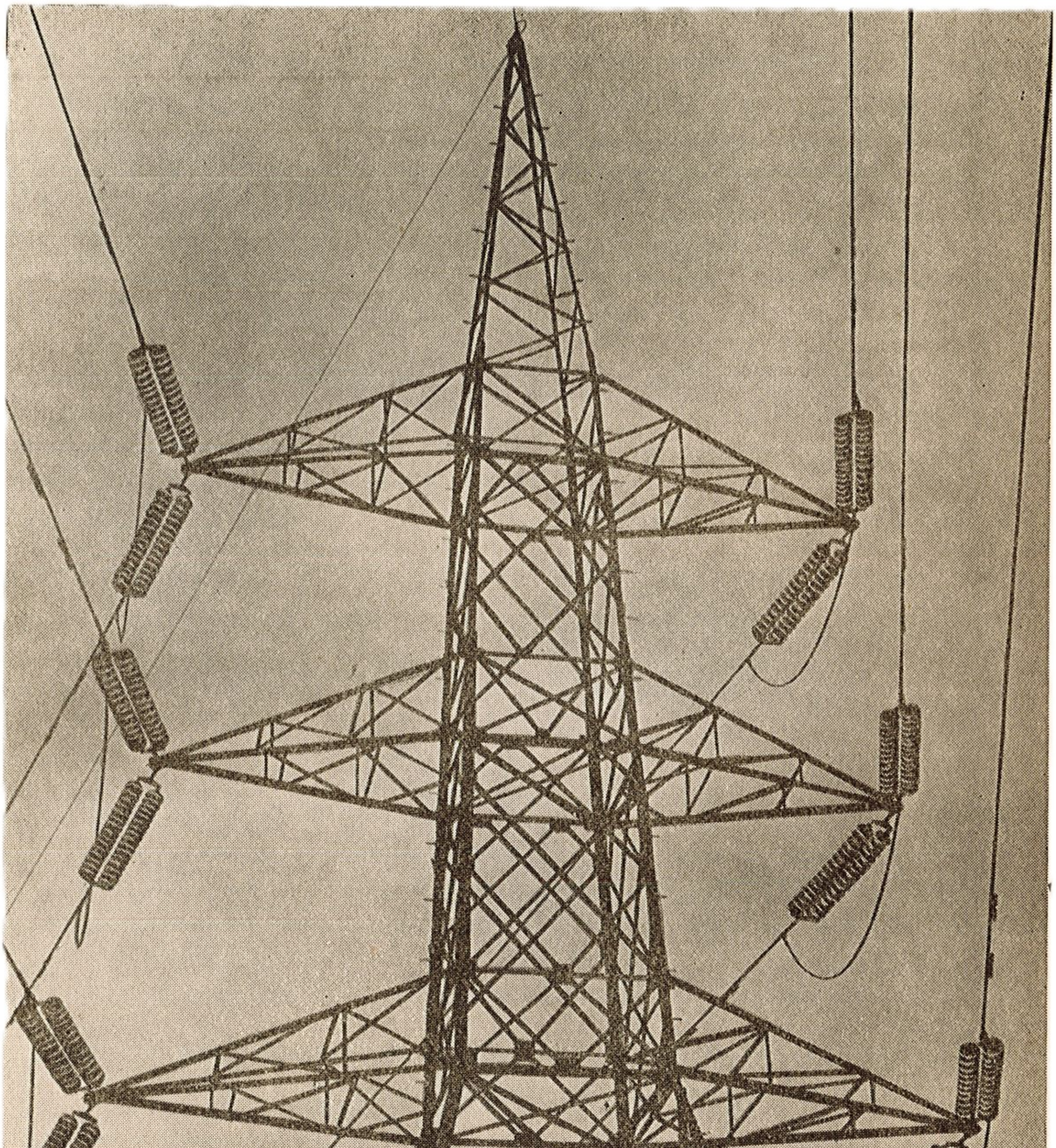

ट्रांसमिशन टावर

नैशनल
हाइड्रोइलैक्ट्रिक
पावर
कारपोरेशन लि.

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	श्री एस० एन० रॉय (19-5-78 अपराह्न तक) मेजर जनरल टी० वी० जगन्नाथन (20-5-78 पूर्वाह्न से)
निदेशकगण	श्री वी० सुब्रामनियन श्री के० एस० सुब्रह्मणयम श्री वाई० के० मूर्ति (31-10-1978 तक) श्री एस० एन० रॉय (20-5-1978 से) श्री वी० कृष्णास्वामी (5-6-1978 तक) श्री आर० गोपालास्वामी (25-7-1978 अपराह्न तक) श्री ए० एन० सिंह श्री एस० बी० मजूमदार (10-9-1979 तक) श्री डी० राजागोपालन (5-7-1978 से) श्री एस० रमेश (26-7-1978 से 31-1-1979 तक) श्री पी० एम० बेलिअप्पा (31-1-1979 से)
सचिव	श्री एन० वी० रामन
लेखा परीक्षक	मैसर्स एस० के० जैन एसोसिएट्स, 23, कम्यूनिटी सैंटर, अशोक विहार, नई दिल्ली-110052
बैंकर	स्टेट बैंक आफ इंडिया
पंजीकृत कार्यालय	'मंजूषा' 57, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

नोटिस

सूचित किया जाता है कि नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० की तृतीय वार्षिक साधारण बैठक निम्नलिखित कार्य करने के लिए बुद्धवार, 26 सितम्बर, 1979 को 12.30 बजे अपराह्न निगम के पंजीकृत कार्यालय 'मंजूषा' 57, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में होगी।

सामान्य कार्य :

31-3-1979 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखा परीक्षित लेखों, लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें तथा उस पर निदेशकगण की रिपोर्ट सहित, को प्राप्त एवं स्वीकार करना।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० के
निदेशकों के बोर्ड के आदेश से
(एन० वी० रामन)
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली, दिनांक : 28 अगस्त, 1979

नोट : कोई भी सदस्य जिसे बैठक में उपस्थित होने व मत देने का अधिकार है, अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परोक्षी के रूप में बैठक में उपस्थित होने व मत देने का अधिकार दे सकता है। परोक्षी का कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

अध्यक्षीय भाषण

सज्जनों,

मुझे नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० की तीसरी वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए बड़ी खुशी है। वर्ष 1978-79 के लिए लेखा परीक्षित लेखे आप द्वारा विचार एवं स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं।

वर्ष :

आपके निगम के निर्माण की तीन वर्ष की छोटी सी अवधि में, निगम महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र में देश के विकास में एक मुख्य साधन के रूप में उभरा। दो बड़ी जल-विद्युत् परियोजनाएं अर्थात् हिमाचल प्रदेश में बैरा स्यूल और मणिपुर राज्य में लोकतक, दोनों स्वामित्व के आधार पर इसे निष्पादनार्थ सौंपी गईं। निगम के लिए 1978-79 का वर्ष परिणाम एवं गुण की दृष्टि से स्वस्थ वृद्धि का वर्ष रहा है। जम्मू व कश्मीर में 700 मेगावाट की सलाल जल-विद्युत परियोजना निगम को एजेंसी आधार पर निष्पादनार्थ सौंपी गई। भारत सरकार तथा जम्मू व कश्मीर सरकार इस परियोजना के निगम को हस्तांतरित करने के बारे में सक्रियता से विचार कर रही हैं। भारत सरकार तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत नेपाल में देवीघाट जल-विद्युत परियोजना के निर्माण के लिये सहमत हुई। इस परियोजना का निर्माण कार्य 18-10-78 से भारत सरकार के एजेंट के तौर पर आपके निगम को सौंपा गया है।

आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष के दौरान लोकतक जल-विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में काफी प्रगति हुई है। सुरंगों में आई गम्भीर रुकावटों पर संगठित कोशिशों से काबू पा लिया गया। सुरंगों में मेथेन गैस की मौजूदगी के कारण सुरंग खुदाई के कार्य को फ्लेम-प्रूफ उपस्कर से पुनः अनुकूल कर लिया गया। सुरंगों के बहुत ही भिंची हुई मिट्टी एवं चट्टान परतों में से गुज़रने के कारण सुरंग खुदाई के परम्परागत तरीकों को बदलना पड़ा। सुरंग की खुदाई अब आस्ट्रिया से आयातित 'एल्पाइन माइनरों' द्वारा की जा रही है जो परम्परागत विस्फोटक विधि में एक परिवर्तन है। हमने सुरंग खुदाई की नई आस्ट्रियाई विधि (एन० ए० टी० एम०) भी अपनाई है, जो सुरंग सपोर्टों के लिये एक आधुनिक तकनालॉजी है। इसमें शाटक्रीटिंग और एनकरिंग का ध्यान किया गया है और जहां ज़रूरी हुआ सुरंग की रिब-सपोर्टिंग की गई। यह सब एक के बाद एक खुदाई के बाद बहुत ही थोड़े समय के अन्दर हुआ। सुरंग की कंक्रीट लाइनिंग में तीव्रता लाने के लिये हम टेलिसकोपिक शट्रिंग से लगातार कंक्रीट डालने की एक नई तकनालॉजी अपनाने की योजना बना रहे हैं जिससे 100 मीटर प्रतिमास कंक्रीट लाइनिंग के हमारे परम्परागत तरीकों की तुलना में कंक्रीट लाइनिंग 400 से 500 मीटर प्रतिमास तक की दर से हो सकेगी। यह उपस्कर भी आयात करना होगा। मुझे यह सूचना देते हुए गर्व है कि सुरंग निर्माण में इन आधुनिक तकनीकों को अपनाने में आपका निगम देश की पहली संस्था है।

हाल ही में पेनस्टाक पहाड़ी ढलानों पर कुछ खिसकाव थे जिससे पहले ही डल चुके पेनस्टाकों को क्षति पहुंची। इन पीठों (सैडल्स) को फिर से बनाने की कार्यवाही हो रही है। इन रुकावटों के बावजूद, मुझे विश्वास है कि लोकतक परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मार्च 1982 तक चालू हो जाएगी।

बैरा स्यूल जल-विद्युत परियोजना पर कार्य सन्तोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है। स्यूल नदी के पानी की मदद से पहली यूनिट के चालू करने संबंधी तमाम कार्य योजनानुसार चल रहे हैं और पहली यूनिट फरवरी/मार्च, 1980 तक चालू हो जाएगी। शेष परियोजना का चालू होना बैरा स्यूल नदी पर बांध के निर्माण पर निर्भर करता है। हिमाचल प्रदेश में मार्च, 1979 में हुई अभूतपूर्व भारी वर्षा एवं हिमस्खलन के कारण इस काम को धक्का पहुंचा। इसके बावजूद बैरा डैम को समय पर पूरा करने के लिए कार्यों का पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि सारी परियोजना को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जून, 1981 तक चालू कर दिया जाए।

सलाल जल-विद्युत परियोजना, जो मई, 1978 में हमें सौंपी गई, में स्थल पर खराब भूविज्ञान के कारण

कुछ गंभीर डिजाइन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस परियोजना के लिए हमारे डिजाइनकर्ता एवं सलाहकार, केन्द्रीय जल आयोग इस समस्या से अवगत है। सभी मामलों की जानकारी हो चुकी है और परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति (टी०ए०सी०) की विभिन्न बैठकों में इन पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। टी०ए०सी० ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं और केन्द्रीय जल आयोग ड्राइंगों को अन्तिम रूप देने में लगा हुआ है। इस सब के अलावा, डाइवर्शन टनल से नदी का डाइवर्शन अभी भी अक्तूबर, 1980 में किए जाने की योजना है। बिजली घर काम्प्लैक्स के निर्माण के लिए टेंडरों पर काम हो रहा है।

देवीघाट परियोजना पर आवश्यक अवसंरचनात्मक (इन्फ्रा स्ट्रक्चरल) कार्य निर्मित हो चुके हैं। फिर भी परियोजना कामप्लेक्सों पर वास्तविक कार्य शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि अभी नेपाल सरकार ने भूमि, परियोजना प्राधिकारियों को सौंपनी है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय तथा नेपाल सरकार से बातचीत चल रही है। इसी बीच इस परियोजना में कुछ मुख्य कार्यों के लिए ठेके देने के बारे में कार्यवाही चल रही है। मैं बताना चाहूंगा कि त्रिशूली नदी के आर-पार 300 फुट लम्बा एक बेली ब्रिज 4 महीने के भीतर ही बना लिया गया है जो किसी भी परियोजना में एक रिकार्ड होगा। इससे नदी के पार दाहिने किनारे से संचार व्यवस्था रिकार्ड समय में संभव हो गई है जहां तमाम परियोजना काम्प्लेक्स स्थित हैं।

ट्रांसमिशन लाइन सेक्टर पर हमने काफी प्रगति की है। गंगतोक में सब-स्टेशन जून, 1979 में चालू हो गया और अब लोअर लग्यप जल-विद्युत परियोजना से बिजली इसी सब-स्टेशन के माध्यम से वितरित होती है।

भविष्य

(i) नई परियोजनाएं

बिहार में कोयेल कारो परियोजना, जम्मू-कश्मीर में दुल-हस्ती परियोजना और हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी परियोजना ऐसी तीन नई परियोजनाएं हैं जो कि निकट भविष्य में आपके निगम को सौंपी जाने वाली हैं। दूसरे राज्य भी अपने राज्यों की कुछ परियोजनाएं आपके निगम को सौंपने की सोचते हुए लग रहे हैं। बिहार में कोयेल कारो परियोजना आपके निगम को सौंपे जाने की कार्यवाही अन्तिम रूप ले रही है। इसके लिए सौऊदी फन्ड 106 मिलियन सौऊदी रियाल (26.5 करोड़ रुपये) का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है। यह सब भारत सरकार के एक सरकारी शिष्ट मंडल, जिसमें नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के अधिकारी भी शामिल थे, के सितम्बर, 1979 के पहले सप्ताह में सौऊदी अरब के एक दौरे के बाद हुआ। इस परियोजना पर कार्य बिहार सरकार के इस परियोजना को सरकारी तौर पर आपके निगम को सौंप देने के बाद से शुरू किया जा सकता है। भारत सरकार भी जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती परियोजना को जल्दी ही आपके निगम को हस्तांतरित करने की कोशिश कर रही है।

(ii) संगठन

यद्यपि बहुत सा कार्मिक वर्ग शुरू शुरू में विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य सरकारी क्षेत्रीय उद्यमों से प्रति-नियुक्ति पर लिया गया तथापि हमारे अपने ही संवर्ग के निर्माण की शुरूआत कर दी गई है। यह शुरूआत तेजी से बढ़ती हुई भविष्य की हमारी जरूरतों को पूरा करने वाली सुपरिकल्पित मानवशक्ति नीति के अनुसार की गई है। वर्ष के दौरान यह निर्माण काफी विशाल हुआ है।

कारपोरेट कार्यालय में बेहतर दक्षता एवं समन्वय के लिए आधुनिक विचार के अनुरूप ही अलग-अलग परियोजनाओं के लिए ठेके तथा सामग्री, प्रबन्ध, संयंत्र एवं उपस्कर, प्राप्ति (प्रोक्योरमैंट), डिजाइन आदि जैसे कार्यात्मक (फंक्शनल) सैलों की स्थापना की गई है।

शताब्दी के समाप्त होते होते देश की बिजली की जरूरतें 1,25,000 मेगावाट तक की होने का अनुमान है। इसमें से जल-विद्युत का हिस्सा 2000 ई० तक संस्थापित क्षमता का लगभग 40,000 मेगावाट होना

होगा। यह है समस्या की महत्ता और आपके निगम का भविष्य भी।

अपने देश में बिजली की कमी के संकट का मुकाबला करने में हमारे महान् प्रयास में हमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग जैसे अपने परामर्शदाताओं की पूरी मदद और ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग), विदेश मंत्रालय, महामहिम नेपाल सरकार, सम्बद्ध राज्य सरकारों, सभी अन्य केन्द्रीय एजेंसियों, जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, सर्वे आफ इंडिया, डायरेक्टोरेट जनरल आफ साइन्स सेफटी जैसी विभिन्न विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों तथा अन्यों से प्रचुर सद्भाव व सहायता प्राप्त हुई है। हमें अपनी शक्ति मुख्यत: कारपोरेट कार्यालय तथा फील्ड के सभी वर्गों के कर्मचारियों से उत्साह, जोश, परिश्रम, अनुभव एवं कर्तव्यनिष्ठता से प्राप्त होती है। मुझे यकीन है कि इस अदम्य शक्ति और नीति निर्माण में आपके निरन्तर मार्गदर्शन से निगम उत्तरोत्तर मज़बूत एवं शक्तिशाली होता जाएगा। यह देश में जल-विद्युत के विकास के लिए एक मुख्य तत्व होगा।

अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप 1978-79 के लिए लेखा परीक्षित लेखों पर विचार एवं स्वीकार करें।

मेजर जनरल टी० वी० जगन्नाथन
पी० वी० एस० एम०,
ए० वी० एस० एम०, (रिटायर्ड)
अध्यक्ष

नई दिल्ली,
दिनांक : 26 सितम्बर, 1979

शेयरधारियों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

सज्जनों,

मुझे बहुत खुशी है कि मैं निदेशकों की ओर से कारपोरेशन के कार्यकलापों की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष का परीक्षित लेखा और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट भी शामिल है। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी है कि वर्ष 1978-79 कारपोरेशन के कार्यकलापों में लगातार वृद्धि का वर्ष है।

2. कार्यवाहियां

2.1 जल-विद्युत परियोजनाएं :—वर्ष के दौरान लोकतक तथा बैरा स्यूल जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चलता रहा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था जम्मू और कश्मीर में सलाल जल-विद्युत परियोजना भारत सरकार ने 15 मई, 1978 से 'एजेंसी' के आधार पर कारपोरेशन को सौंप दी थी। इस परियोजना को कारपोरेशन को हस्तांतरित करने की औपचारिकताओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। नेपाल को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने में सहायता प्रदान करने हेतु दोनों देशों के बीच तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत नेपाल में देवीघाट जल-विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य हाथ में लेने के लिए भारत सरकार ने महामहिम नेपाल सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत सरकार के एजेंट के रूप में इस परियोजना को पूरा करने का काम 18-10-1978 से कारपोरेशन को सौंपा गया है।

2.2 ट्रांसमिशन लाइनें :—कारपोरेशन को मिली उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त यह विभिन्न राज्य सरकारों/सरकारी उपक्रमों द्वारा सौंपी गई विभिन्न ट्रांसमिशन लाइनों से संबंधित अपना कार्य भी जारी रखे हुए है।

3. परियोजनाओं की मोटी-मोटी बातें

3.1 परियोजनाओं की मोटी-मोटी बातें अनुबंध-I में दी गई हैं।

4. कारपोरेट कार्य-निष्पादन

4.1 **लोकतक जल-विद्युत परियोजना** :—पिछले वर्ष की भांति वर्ष 1978-79 के दौरान इस परियोजना पर निर्माण गतिविधियों में तेजी से प्रगति हुई। विभिन्न काम्पलैक्सों पर कार्य की प्रगति नीचे दी गई है :—

(क) **इथाई बैराज** :—सभी सिविल कार्य पूरे हो गए हैं, हॉयस्ट ब्रिज, क्रेस्ट गेटों और अन्य हाइड्रो-मेकेनिकल उपस्करों के उत्थापन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। इन सब कार्यों के जून, 1980 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ख) **खुली चैनल** :—कुछ सुधार कार्य को छोड़ कर कुल 2270 मीटर लम्बाई पूरी हो गई है।

(ग) **कट और कवर भाग** :—कुल 1073 मीटर में से कुल 912 मीटर लम्बाई पूरी हो गयी है। इस वर्ष के दौरान 192 मीटर लंबाई पूरी की गई। इस कार्य को मार्च, 1980 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(घ) **हैड रेस सुरंग** :—जैसा कि आप जानते हैं लोकतक जल-विद्युत परियोजना को पूरा करने में सुरंग बनाने का कार्य सबसे नाजुक कार्य है। इस वर्ष के दौरान अधिकतम प्रगति करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए।

(i) हैड रेस सुरंग का पावर चैनल फेस :

पावर चैनल फेस को विभागीय तौर पर अगस्त, 1978 में हाथ में लिया गया था और कुल 150 मीटर की लंबाई में से अब तक 92.34 मीटर लम्बाई में बोर कर दिया गया है। इस फेस पर कठिनाई मुख्यतः लेक डिपोजिट्स और सॉफ्ट और रनिंग भूतल परिस्थितियों के कारण आई। इस पहुंच के अक्तूबर, 1979 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ii) **पहुंच 0.1** :—सुरंग की इस पहुंच का कार्य भी विभागीय तौर पर किया जा रहा है। धरती के बह जाने वाली स्थिति, पूर्ण खराब भूविज्ञान के कारण इस फेस में भी कठिनाई अनुभव की जा रही है परन्तु मई, 1979 में लगभग 40 मीटर की प्रगति होना उत्साह वर्धक बात है। 672 मीटर में से कुल 583.6 मीटर लम्बाई की खुदाई

की जा चुकी है, इसमें से 327 मीटर लम्बाई की खुदाई समीक्षाधीन वर्ष के दौरान की गई है। इस फेस को दिसंबर, 1980 तक पूरा करने का कार्यक्रम है, परन्तु इस फेस में की गई बोरिंग की अधिक दर को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद है कि यह कार्य दिसंबर, 1979 तक पूरा हो जायेगा जिसके फलस्वरूप एक वर्ष का समय बच जाएगा। इस समय को लाइनिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(iii) **पहुंच 2-3 और 6-7** :—इनका कार्य मैसर्ज पटेल इंजीनियरिंग कम्पनी को सौंपा गया है। इन फेसों में खुदाई का कार्य अगस्त, 1978 में पूरा हो गया था और लाइनिंग कार्य लगभग पूरा हो गया है।

(iv) **पहुंच 4-5** :—सुरंग की यह पहुंच सबसे अधिक कठिन है, जिसकी कुल लम्बाई 3849 मीटर है। प्रतिकूल भूवैज्ञानिक परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली भूमि संबंधी तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए बहुत कठोर सुरक्षा उपाय किए गए हैं। दो परिष्कृत प्वांइट एक्सकेवेटर (एल्पाइन माइनर्स) आस्ट्रिया से आयात किए गए हैं। इस नाजुक पहुंच में सुरंग संबंधी प्रचालन कार्य इन एल्पाइन माइनरों की सहायता से यंत्रीकृत किए गए हैं। पहला एल्पाइन माइनर जनवरी, 1979 के दौरान फेस 5 पर प्रचालित किया गया था तथा दूसरा फेस 4 पर मई, 1979 में। ज्वालासह (फ्लेमप्रूफ) रेलवे इंजन भी प्राप्त किए गए हैं और काम में लगाए गए हैं। सुरंग की छत को टेक देने के अद्यतन तरीके अपनाए गए हैं, जिसे "न्यू आस्ट्रियन टनलिंग मैथड" (एन०ए०टी०एम०) कहते हैं। सुरंग बनाने के लिए एल्पाइन माइनरों का उपयोग देश में पहली बार किया गया है।

आस्ट्रिया के मैसर्ज जिओकन्सल्ट तथा पश्चिम जर्मनी के मैसर्ज लिओनहर्ड मोल क्रमश: अभिसरण के मापने (कन्वरजेंसी मेजमैंट्स) तथा शाटक्रीटिंग और राक बोल्टिंग में हमारी सहायता कर रहे हैं। इन फर्मों के विशेषज्ञ "एन०ए०टी०एम०" तकनीक में हमारे कार्मिकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं।

दोनों फेसों पर कार्य चल पड़ा है। वर्ष के दौरान 178 मीटर बोरिंग की गई है। मई, 1979 में फेस 5 पर 40 मीटर और फेस 4 पर 29 मीटर मासिक की प्रगति रही है। फेस 4 और 5 पर कार्य कर रहे दलों में व्याप्त अधिक विश्वास और इन फेसों पर किए जा रहे प्रयत्नों के फलस्वरूप इस पहुंच में बोरिंग कार्य 1980 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है। इस पहुंच में लाइनिंग आधुनिकतम कन्टिन्यूअस बोरिंग तकनीक द्वारा करने की योजना है जिसके लिए उपस्कर का आयात किया जाएगा। भारत में इस तकनीक को अपनाने वालों में भी सर्वप्रथम आपका निगम ही होगा।

(ङ) **पेनस्टाक** :—पेनस्टाक के उत्थापन में मार्च, 1979 तक लगभग 78% प्रगति हुई थी। इस कार्य के मार्च, 1981 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(च) **बिजली घर** :—यूनिट-1 और 2 के सिविल कार्य पूरे हो गए थे और यूनिट 3 पर कार्य प्रगति पर है।

(छ) **विद्युत कार्य** :—जेनरेटिंग यूनिटों का कार्य तेजी से चल रहा है और यह कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। यूनिट 1 और 2 का कार्य लगभग पूरा हो गया है। यूनिट 3 का स्पीड-रिंग और स्पाइरल केसिंग कार्य पूरा हो गया है तथा प्रैशर रिलीफ वाल्व का उत्थापन और परीक्षण कार्य में अच्छी प्रगति है, रनर-शाफ्ट एवं गाइड बेयरिंग के एलाइनमेंट का कार्य तथा वर्किंग मेकेनिज़म के प्रतिष्ठापन का कार्य पूरा हो गया है। जेनरेटर यूनिट का स्टेटर वाइनडिंग के लिए तैयार है, विद्युत ट्रांसफार्मर के उत्थापन का कार्य शुरू हो गया है। इस यूनिट का कार्य नवम्बर, 1979 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ज) **पूरा करने का कार्यक्रम** :—सभी तीनों यूनिटों को मार्च, 1982 तक चालू करने का कार्यक्रम है :

4.2 बैरा स्यूल जल-विद्युत परियोजना :

इस परियोजना पर कार्य दो चरणों में पूरा करने का कार्यक्रम है, जो नीचे दिए गए हैं :—

पहला चरण :

बिजली घर, स्विच यार्ड, पेनस्टाक, वाल्व हाऊस, सर्ज शाफ्ट, स्यूल वीयर/काम्प्लैक्स और स्यूल से सर्ज शाफ्ट तक हैड रेस सुरंग तथा स्यूल नदी के जल की सहायता से एक मशीन चलाने के लिए अपेक्षित अन्य सभी

संबंधित कार्य फरवरी/मार्च, 1980 तक पूरे हो जाएंगे।

दूसरा चरण :

अन्य शेष सभी कार्य, जिनमें भालेध वीयर काम्प्लैक्स, भालेध फीडर सुरंग, बैरा बांध काम्प्लैक्स तथा बैरा बांध से स्यूल तक हैड रेस सुरंग जून, 1981 तक पूरे हो जाएंगे।

(क) **कार्यों की प्रगति :**—परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए अपेक्षित कार्यों की प्रगति काफी संतोषजनक है। यह सूचित करते हुए खुशी होती है कि बैरा बांध से आउटलेट तक हैड रेस सुरंग की बोरिंग का कार्य पूरा हो गया है। हैड रेस सुरंग के शेष कार्य अर्थात् ओवर्ट कंक्रीटिंग, इन्वर्ट कंक्रीटिंग और ग्राउटिंग कार्य प्रगति पर है और समय पर पूरे हो जाएंगे।

पहले चरण को पूरा करने के लिए अपेक्षित अन्य सिविल कार्य अर्थात् स्यूल वीयर काम्प्लैक्स, जिसमें डीसिल्टिंग सुरंगे, वाल्व हाउस, ड्राप शाफ्ट, सर्जशाफ्ट, पेनस्टाक, बिजली घर और टेल रेस चैनल शामिल हैं, भी पूरा होने की उन्नतावस्था में हैं। उम्मीद है कि परियोजना का प्रथम चरण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्थात् फरवरी/मार्च, 1980 तक पूरा हो जाएगा।

(ख) **दूसरा चरण :**—फरवरी, 1977 में बैरा बांध स्थल के ठीक अनुप्रवाह (डाउन स्ट्रीम) में भारी मात्रा में पहाड़ी स्खलित (हिल स्लाइड) हुई, जिसके परिणामस्वरूप डाइवर्शन सुरंग सहित बैरा बांध स्थल का क्षेत्र जलमग्न हो गया। चूंकि नदी तल में मलबे का सर्वोच्च लेवल डाइवर्शन सुरंग के इनवर्ट लेवल से बहुत अधिक था, अतः अतिरिक्त डाइवर्शन (डाइवर्शन सुरंग नं 2) का निर्माण करना आवश्यक हो गया। यह कार्य जनवरी, 1979 में पूरा हो गया था और डाइवर्शन सुरंग और अतिरिक्त डाइवर्शन सुरंग को जोड़ने के लिए तथा डाइवर्शन सुरंग को साफ करने का कार्य प्रगति पर है। दुर्भाग्यवश हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र, जिसमें परियोजना का क्षेत्र भी शामिल है, 2 मार्च से 9 मार्च, 1979 तक अभूतपूर्व खराब मौसम से ग्रस्त रहा, यहां भारी वर्षा और हिमपात हुआ। परिस्थितियां इतनी खराब थीं कि सिविल प्राधिकारियों और रक्षा कार्मिकों की सहायता से हवाई जहाज से भोजन और दवाइयों की सप्लाई की व्यवस्था की गई। सारे क्षेत्र में भू-स्खलन हुए थे और बाथरी-चौरा होकर परियोजना क्षेत्र को जाने वाली सभी सड़कें तथा चम्बा होकर जाने वाला राजमार्ग भी अनेक स्थानों पर अवरुद्ध हो गया। परियोजना क्षेत्र में सड़कों की स्थिति, जो सामान्यतः साफ मौसम के किस्म की हैं, बहुत अधिक खराब थी। ये सड़कें इतनी अधिक और इतने अधिक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई थीं कि इन सड़कों पर पैदल चलना भी संभव नहीं था।

सड़कों और भवनों को हुई क्षति के अतिरिक्त दूसरे चरण को पूरा करने के लिए अपेक्षित प्रमुख कार्य भी पिछड़ गया। भारी वर्षा के कारण डाइवर्शन सुरंग, जिसका कुछ भाग साफ कर दिया गया था, पुनः मलबे से भर गया। खुले चैनल में रैम्प का कार्य भी, जो मूल डाइवर्शन सुरंग (डाइवर्शन सुरंग नं० 1) और डाइवर्शन सुरंग नं० 2 को जोड़ता है, नष्ट हो गया और समस्त कार्य नए सिरे से शुरू करने पड़े।

अभूतपूर्व खराब मौसम के कारण पिछड़ जाने और बर्फ के पिघलने से बैरा नदी में अधिक निस्सरण के फलस्वरूप पिछले कार्य-सत्र के दौरान सभी नियोजित कार्य पूरे नहीं किए जा सके। तथापि, 1979-80 के कार्य-सत्र के दौरान पिछड़े हुए कार्यों को पूरा करने की योजना है।

(ग) **विद्युत कार्य :**—जेनरेटिंग यूनिटों के उत्थापन कार्य पूरे जोरों पर हैं तथा यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहा है। केबल रेकों के प्रतिष्ठापन और केबल बिछाने तथा डिस्क वाल्वों के उत्थापन को छोड़ कर यूनिट-1 और 2 लगभग पूरे हो गए हैं। यूनिट-3 के स्पाइरल केसिंग को जोड़ने का कार्य पूरा हो गया है, प्रैशर रिलीफ वाल्व के उत्थापन का कार्य प्रगति पर है, गाइड एप्रेटस की प्री-फाइनल एसैम्बली का कार्य पूरा हो गया है। रनर और शाफ्ट को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। स्विचयार्ड के सभी उपस्कर पूरे हो गए हैं। ए० बी० सी० बी० (एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर) और आइसोलेटरों के लिए कम्प्रेस्ड एअर पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है।

(घ) **पूरा करने का कार्यक्रम :**—परियोजना के प्रथम चरण के फरवरी/मार्च, 1980 तक पूरा हो जाने

की उम्मीद है। जैसे कि पहले योजना बनाई गई थी, परियोजना का दूसरा चरण जून, 1981 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

4.3 सलाल जल-विद्युत परियोजना :

(क) **कार्यों की प्रगति :**—सलाल परियोजना (प्रथम चरण) का कार्यान्वयन दो मुख्य सोपानों में किया जा रहा है अर्थात् (i) डाइवर्शन-पूर्व के कार्य तथा (ii) डाइवर्शन के बाद के कार्य।

इस समय मुख्य दबाव डाइवर्शन सुरंग तथा कंक्रीट बांध और रॉकफिल बांध के जरूरी कार्यों को पूरा करना है ताकि अक्तूबर, 1980 तक नदी का डाइवर्शन किया जा सके। कार्य की मुख्य मदों की प्रगति नीचे दी गई है :—

(ख) **डाइवर्शन सुरंग :**

(i) **सुरंग की खुदाई :** डाइवर्शन सुरंग की खुदाई का मुख्य कार्य अप्रैल, 1978 तक पूरा हो गया था। केवल थोड़ी सी खुदाई छोड़ दी गई है जो इनलेट पर खुदाई से संबंधित है और जो कुछ विविध किस्म का खुदाई-कार्य है।

(ii) **सुरंग की लाइनिंग :** 36,000 वर्गमीटर में से मार्च, 1979 के अन्त तक 35,271 वर्गमीटर लाइनिंग की जा चुकी है।

(iii) **ग्राउटिंग :** सुरंग की ग्राउटिंग का कार्य प्रगति पर है। 50,000 बोरी की कुल अनुमानित मात्रा में से मार्च, 1979 तक 35,376 बोरी ग्राउटिंग कर दी गई है।

(iv) **फाटकों और हाइस्टों का उत्थापन :** फाटकों और हाइस्टों के उत्थापन का कार्य दिसंबर, 1978 में शुरू किया गया था। मार्च, 1979 तक केवल 28.5 मीटरिक टन उत्थापन किया गया है। कार्य प्रगति पर है और उम्मीद है कि फाटकों और हाइस्टों का उत्थापन कार्य दिसबर, 1979 तक पूरा हो जाएगा।

(ग) **रॉकफिल बांध :**

(i) **खुदाई तथा स्ट्राइपिंग :** बांध की नींव की खुदाई और स्ट्राइपिंग का लगभग 58% कार्य पूरा हो गया है। शेष कार्य उस भाग से संबंधित हैं जो नदी के डाइवर्शन के बाद उपलब्ध होगा।

(ii) **फाउंडेशन ट्रीटमेंट :** डाइवर्शन-पूर्व फाउंडेशन ट्रीटमेंट का कार्य मार्च, 1979 तक लगभग 70% पूरा हो गया है।

(iii) **फिल प्लेसमेंट :** डाइवर्शन-पूर्व के चरण में फिल प्लेसमेंट कार्य मार्च, 1979 तक लगभग 40% पूरा हो गया था। कोर बेस की फाउंडेशन ट्रीटमेंट के बाद तथा फिल प्लेसमेंट के लिए भूमि उपलब्ध हो जाने पर ही डाइवर्शन-पूर्व प्लेसमेंट कार्य बड़ी मात्रा में शुरू किया जा सकता है।

(घ) **कंक्रीट बांध :** कंक्रीट बांध में 25 ब्लाक हैं, जिसमें पहले तीन नान-ओवरफ्लो ब्लाक हैं, अगले 12 स्पिलवे ब्लाक हैं और शेष विद्युत बांध तथा नान-ओवरफ्लो ब्लाक हैं। नदी का डाइवर्शन अक्तूबर, 1980 में करने के लिए जरूरी कार्यों को पूरा करने में प्रमुख समस्या कंक्रीट बांध के 16 से 25 तक के ब्लाकों की फाउंडेशन ट्रीटमेंट की है। 16 से 25 तक के ब्लाकों की फाउंडेशन ट्रीटमेंट की डिजाइन ड्राइंगें केन्द्रीय जल आयोग ने फरवरी, 1979 में दी थीं। इन ड्राइंगों के अनुसार इन ब्लाकों में खुदाई और कंक्रीट कार्य की मात्रा में काफी वृद्धि हो गई है तथा अनेक और उलझनें भी देखी गई हैं। इन ड्राइंगों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप नदी का डाइवर्शन अक्तूबर, 1980 तक करने के कार्यक्रम का काफी पिछड़ जाना था।

समस्या को हल करने के लिए तकनीकी सलाहकार समिति (टी०ए०सी०) की अनेक बैठकें आयोजित की गईं। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, तकनीकी सलाहकार समिति ने जो अति अनिवार्य रूप से न्यूनतम खुदाई उचित समझी उसकी सिफारिश की और विद्युत बांध ब्लाकों के फाउंडेशन ट्रीटमेंट के डिजाइन के लिए कुछ पैरामीटरों का भी सुझाव दिया ताकि उनकी सुरक्षा

सुनिश्चित की जावे। स्पिलवे ऊर्जा के अपव्यय की व्यवस्था के संबंध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूणे में किए गए माडल अध्ययनों के आधार पर जब नदी का बहाव स्पिलवे ब्लाकों के ऊपर मोड़ते समय फ्लिप बकेट से टकराव (इम्पिंजिग) जेट के परिणाम-स्वरूप होने वाले कटाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पिलवे ब्लाकों में अनुप्रवाह सुरक्षा कार्य भी करने पड़ेंगे। विद्युत बांध ब्लाकों के फाउंडेशन ट्रीटमेंट कार्यों तथा स्पिलवे के अनुप्रवाह सुरक्षा कार्यों के लिए डिजाइन ड्राइंगों का कार्य केन्द्रीय जल आयोग ने शुरू कर दिया है और उनके पूरा हो जाने पर निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे।

(ङ) बिजली घर

(i) **पहले चरण की सुरक्षा दीवार (प्रोटेक्शन वाल) का निर्माण :** मार्च, 1979 तक लगभग 90% कार्य पूरा हो गया था।

(ii) **उप-संरचना (सब-स्ट्रक्चर) का पहला चरण :** पहले चरण की उप-संरचना पर बिजली घर का कार्य मैसर्ज राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम ने दिसंबर, 1978 में शुरू किया था। कुछ कारणों से उनसे यह कार्य वापस ले लिया गया और मार्च, 1979 में मैसर्ज हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दे दिया गया।

(iii) **टेल रेस सुरंग :** उपर्युक्त कार्य अगस्त, 1978 में मैसर्ज गैमन इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया था। मुख्य सुरंग की खुदाई शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है।

(च) विद्युत (इलैक्ट्रिक) कार्य : यूनिट-1, 2 और 3 के लिए प्लांट और मशीनरी की प्राप्ति संबंधी कार्य प्रगति पर है। मार्च, 1979 तक डिलीवर की गई सामग्री की प्रतिशतता नीचे लिखे अनुसार है :—

3×115 मेगावाट जेनरेटिंग यूनिट-1	:	95%
यूनिट-2	:	90%
यूनिट-3	:	50%
जेनरेटिंग यूनिटों के लिए प्रारंभिक फुटकर पुर्जे	:	25%
एयर कम्प्रेशर	:	95%

सभी उपस्कर समुचित रूप से स्टोर कर लिए गए हैं। सलाल जल-विद्युत परियोजना के लिए विद्युत प्रणाली अध्ययन हो रहे हैं। इनमें दीर्घ अवधि ट्रांसिएंट तथा स्टेबिलिटी अध्ययन और डायनेमिक ओवर वोल्टेज अध्ययन शामिल है। 875 के०वी०ए० के वर्तमान 2 सेटों के अतिरिक्त निर्माण के लिए अपेक्षित विद्युत के लिए संस्थापित 248 के० वी० ए० के सभी 8 सेट चालू कर दिए गए हैं। बिजली घर के अर्थमेट के संस्थापन का कार्य प्रगति पर है।

(छ) पूरा करने का कार्यक्रम : परियोजना को 1985-86 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है।

4.4 देवीघाट जल-विद्युत परियोजना

(क) परियोजना स्थल पर स्टाफ का पहला दल भेज कर दिसंबर, 1978 के मध्य में कार्यवाही शुरू की गई थी। स्टाफ क्वार्टरों, स्टोर/गोदामों, पहुंच सड़कों, निर्माण-पूर्व सर्वेक्षण, भवन आदि का निर्माण शुरू किया गया था। हैड रेगुलेटर, कट और कवर सेक्शन, क्रास ड्रेनेज कार्यों के लिए विशिष्ट ड्राइंगों और तकनीकी विशिष्टियों का कार्य प्रगति पर है तथा फोरबे, इनटेक, पेनस्टाक, बिजली घर और टेल रेस के लिए विशिष्ट ड्राइंगों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। कुछ भारी निर्माण उपस्कर नेपाल की महामहिम सरकार से उधार प्राप्त कर लिए गए थे और कुछ उपस्कर खरीद लिए गए हैं। मुख्य जेनरेटिंग सेटों के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सप्लाई आर्डर दे दिया गया है।

विभिन्न ठेकेदारों से प्राप्त प्री-क्वालीफिकेशन बोलियों पर कार्यवाही की जा रही है।

(ख) विद्युत (इलैक्ट्रिकल) कार्य : इलैक्ट्रिक और मेकेनिकल कार्यों के लिए डिजाइन और आयोजना कार्य प्रगति पर हैं। जल-विद्युत टरबाइनों और जेनरेटरों सहित देवीघाट मुख्य जेनरेटिंग संयंत्र की विशिष्टियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। अवसंरचनात्मक (इन्फ्रा स्ट्रक्चरल) सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए डिजाइन और योजना तेजी से तैयार की जा रही है, जैसे निर्माण के

लिए विद्युत की व्यवस्था, टेलीफोन की सुविधा, परिवहन और संयंत्र को संभालना आदि ।

(ग) परियोजना को कुछ निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा :—

(1) भूमि अधिग्रहण : त्रिशूली नदी के बाएं तट पर भूमि अप्रैल, 1979 के अन्त में ही सौंपी गई थी, जबकि नदी के दाएं तट पर भूमि अभी तक नहीं सौंपी गई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से नेपाल की महामहिम सरकार के साथ मामले पर कार्यवाही की जा रही है ।

(2) सीमाशुल्क विभाग की स्वीकृति : सभी निर्माण उपस्कर, सामग्री आदि भारत से आयात किए जाने हैं । रक्सोल में भारतीय सीमाशुल्क विभाग की चैक पोस्ट ने इस सामग्री को नेपाल में ले जाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है । मामले पर विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के साथ कार्यवाही की गई और यह संतोषजनक रूप से निपटा लिया गया है ।

(3) निर्माण के लिए बिजली : भारत-नेपाल समझौते के अनुसार नेपाल की महामहिम सरकार को निर्माण के लिए 2 मेगावाट बिजली निःशुल्क देनी चाहिए । नेपाल की महामहिम सरकार ने हाल ही में 63 के०वी०ए० की व्यवस्था की है तथा 500 के०वी०ए० की और सप्लाई शीघ्र ही होने की आशा है ।

4.5 पारेषण (ट्रांसमिशन) निर्माण यूनिटें :

(क) विभिन्न पारेषण निर्माण लाइनों पर मार्च, 1979 तक हुई प्रगति नीचे लिखे अनुसार थी :—

पारेषण कार्यों का विवरण	पूरा करने की लक्ष्य तिथि	31 मार्च, 1979 तक पूरे किए गए कार्य की कुल प्रतिशतता
1	2	3
1. सिक्किम क्षेत्र में पारेषण प्रणाली		
(i) गंगतोक से कालिम्पोंग तक 66 के० वी० डबल सर्किट पारेषण लाइन ।	अक्तूबर, 1980	34%
(ii) गंगतोक में 66/11 के०वी० उप केन्द्र (10 एम०वी०ए०)	जून, 1979	78%
(iii) गंगतोक मेल्ली में 66/11 के०वी०ए० उप केन्द्र (10 एम०वी०ए०)	अक्तूबर, 1980	32%
(iv) गंगतोक से दिक्चू तक 66 के०वी० सिंगल सर्किट पारेषण लाइन	नवम्बर, 1979	40%
2. रामनगर से गंडक तक 132 के०वी० सिंगल सर्किट पारेषण लाइन	मार्च, 1980	41%
3. लीमातक से जिरीबाम तक 132 के०वी० सिंगल सर्किट पारेषण लाइन	दिसम्बर, 1980	36%

1	2	3
4. सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए 400 के०वी० सिंगल सर्किट पारेषण लाइनें	सिंगरौली से ओबरा— अगस्त, 1980; सिंगरोली से कानपुर जनवरी, 1981	42%
5. सलाल जल-विद्युत परियोजना के लिए 220 के०वी० लाइनें		
(i) जम्मू से सरना तक सिंगल सर्किट पारेषण लाइन	जून, 1981	8%
(ii) सरना से दसूआ तक डबल सर्किट टावरों पर सिंगल सर्किट लाइन	जून, 1980	25%

चालू करने से पहले आवश्यक परीक्षणों के बाद गंगतोक में उप केन्द्र जून, 1979 में पूर्णत:पूरा हो गया था। यह उप केन्द्र अब लोअर लग्यप जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त कर रहा है।

(ख) कठिनाइयां :

(1) सिक्किम क्षेत्र में पारेषण प्रणाली :

मेल्ली उप केन्द्र के लिए भूमि का कब्जा निगम को केवल इस वर्ष के अन्त में सौंपा गया था। उप केन्द्र स्थल पर पहुंच सड़क निर्माणाधीन है। उपस्कर के उत्थापन का वास्तविक कार्य चालू मानसून ऋतु के बाद करने का कार्यक्रम है।

पश्चिम बंगाल प्राधिकारियों ने थोड़े ही समय पहले कालिम्पोंग में अपने उप केन्द्र के लिए स्थल की सूचना दी है और कालिम्पोंग की ओर टर्मिनल टावरों की स्थिति सूचित कर दी है। मेल्ली और कालिम्पोंग लाइन का सर्वेक्षण लगभग पूरा होने वाला है। गंगतोक-दिक्चू पारेषण लाइन को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना था और इसलिए इस लाइन को पूरा करने के प्रयास संकेंद्रित किए गए। लाइन के इस भाग पर नींव कार्य पूरा हो जाने के बाद ठेकेदार का उत्थापन दल लाइन के गंगतोक-मेल्ली भाग के लिए भेज दिया जाएगा।

उपर्युक्त तकनीकी कठिनाइयों के अतिरिक्त, सिक्किम क्षेत्र में पारेषण कार्य भी वर्ष 1978-79 के दौरान उक्त क्षेत्र में लगातार भारी वर्षा के कारण काफी प्रभावित हुआ था।

(2) 132 के०वी० रामनगर-गंडक पारेषण लाइन

लाइन की सामग्री के परिवहन की कठिनाई को छोड़ कर, जो बहुत कुछ रेल वैगनों के उपलब्ध न होने के कारण थी, इस लाइन पर प्रगति सामान्यत: संतोषजनक थी। लाइन सामग्री के सड़क परिवहन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी।

(3) 132 के०वी० लीमातक-जिरीबाम लाइन

क्षेत्र में अपर्याप्त पहुंच सड़कों और रेल परिवहन सुविधाओं तथा कठिन तराई से कुछ समस्याएं सामने आईं। मोटे तौर पर कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(4) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए 400 के०वी० पारेषण लाइनें

इन लाइनों की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम से कुछ पीछे है। यह कमी टावर के ढांचों के लिए इस्पात तथा कुछ हद तक पारेषण लाइन सामग्री के अन्य कच्चे माल की कम उपलब्धता के कारण हुई।

उपर्युक्त विशिष्ट तकनीकी कठिनाइयों के अतिरिक्त जो सामान्य समस्या लगभग सभी कार्यों द्वारा अनुभव की गई वह थी रेल वैगनों का उपलब्ध न होना तथा डीज़ल/पैट्रोल की कमी के कारण सीमेंट और अन्य

पारेषण लाइन सामग्री का परिवहन।

रेलवे तथा सीमेंट कारखानों के विभिन्न अधिकारियों के स्तर पर बातचीत द्वारा मामले पर कार्यवाही करके कठिनाइयां हल कर ली गईं।

5. भावी परियोजनाएं

कारपोरेशन को निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए दिए जाने की संभावना है :—

पहली जम्मू और कश्मीर में दुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना है। इसमें 10 किलोमीटर लम्बी सुरंग है तथा 130-130 मेगावाट की 3 यूनिटों वाला एक भूगर्भीय विद्युत केन्द्र है। इस कार्य को बड़े पैमाने पर यन्त्रीकृत करने का प्रस्ताव है। निकट भविष्य में दूसरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में नाथपा-झाकरी जल-विद्युत परियोजना है, जिसमें 27·8 किलोमीटर लम्बी सुरंग के बाद 1020 मेगावाट क्षमता का संस्थापित एक भूगर्भीय बिजली घर होगा। बिहार में 710 मेगावाट की कोयेल-कारो हाइडल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० को चुना गया है। इसमें 2 मिट्टी के बांध, एक ट्रांसबेसिन वाटर कैरियर तथा एक भूगर्भीय बिजली घर होगा। वर्तमान मूल्य स्तर पर इन नई परियोजनाओं की अनुमानित लागत कुल 854 करोड़ रुपये है। निगम इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

6. कार्मिक तथा औद्योगिक संबंध

(क) कार्मिक : डिजाइन, संविदा और सामग्री प्रबंध, संयंत्र तथा उस्पकर संबंधी कार्यों के लिए विशेषज्ञ दलों को सुदृढ़ बनाया गया है और इन दलों को और सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं।

(ख) कारपोरेशन का अपना स्थायी संवर्ग : कारपोरेशन का अपना संवर्ग बनाने की दृष्टि से कार्यपालकों (एक्जीक्यूटिव) प्रशिक्षार्थियों (इंजीनियरिंग) की भर्ती योजना इस वर्ष भी जारी रखी गई। इस समय 40 कार्यपालक प्रशिक्षार्थी कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में अगले कदम के रूप में प्रतिनियुक्ति पर आए उपयुक्त अधिकारियों को निगम में खपाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

अखिल भारतीय स्तर पर खुला विज्ञापन जारी करके उपयुक्त स्तरों पर विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए खुले बाजार के स्रोतों का भी उपयोग किया गया।

(ग) नियम/नीतियां : कारपोरेशन की अपनी फिस्लाफी एवं कल्चर के अनुरूप कारपोरेशन की अपनी नीतियां और नियम बनाने पर बराबर बल दिया जा रहा है। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लिखित 13 नियमों/नीतियों के अतिरिक्त निम्नखिलित नियम/नीतियां भी लागू की गई हैं :—

1. लेखन सामग्री जारी करने के मानदण्ड;
2. छुट्टी यात्रा रियायत;
3. छुट्टी के बदले नकदी प्राप्त करना (लीव एनकेशमेंट);
4. बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता;
5. उपदान (ग्रेच्यूटी) नियम;
6. वाहन तथा त्यौहार पेशगी;
7. शिकायत संबंधी नीति और प्रक्रिया;
8. माडल स्थायी आदेश;
9. आचरण, अनुशासन और अपील नियम।

पदोन्नति, छुट्टी, चिकित्सा परिचर्या, मकान बनाने के लिए ऋण, मकान किराया भत्ता, परियोजना भत्ता, से संबंधित नियमों के मसौदे भी तैयार कर लिए गए हैं और इनको शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिये जाने की संभावना है। इन नियमों/नीतियों का अनुमोदन हो जाने के उपरान्त एक सार-संग्रह पुस्तिका प्रकाशित करने का प्रस्ताव है जिसमें सामान्य मार्गदर्शन के लिए कार्मिक तथा प्रशासन क्षेत्र में निगम के नियम-विनिमय होंगे।

(घ) प्रशिक्षण तथा प्रबंध विकास : जल-विद्युत परियोजनाओं का आयोजन और निष्पादन बहुत जटिल प्रबंध कार्य है। इसके लिए अनेक विधाओं में उच्च स्तर के समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसके लिए विभिन्न विधाओं में सुव्यवस्थित और कुशल प्रबंध की आवश्यकता जरूरी होती है, जिसके लिए सभी स्तरों पर विशिष्ट उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण की अपेक्षा है।

अतः प्रशिक्षित जन शक्ति का एक व्यावसायिक आधार विकसित करने के उद्देश्य से सुनियोजित आधार पर एक महान् प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने की आवश्यकता पर निगम ने विचार किया है और अखिल भारतीय स्तर के संस्थानों में से एक संस्थान के साथ पत्र व्यवहार करके उन्हें इस हेतु आमंत्रित किया है कि वे कार्यपालकों (एक्जीक्यूटिव) और पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजरों) को प्रबंध संबंधी विचारधाराओं और तकनीकों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराने के लिए गहन प्रशिक्षण का और जन-साधन विकास का कार्यक्रम हाथ में लें। संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष रूप से बनाए गए और आवश्यकता के अनुरूप ढाले गए कार्यक्रम भी इसमें शामिल हैं। आशा है कि उपर्युक्त कार्यक्रम से समेकित दृष्टिकोण और निगम के प्रति आस्था एवं लगाव की भावना वाले संसक्तिशील और सुदृढ़ कर्मचारी दल का विकास करने में सहायता मिलेगी।

(ङ) हिन्दी का प्रयोग : राजभाषा नियम के अन्तर्गत अपेक्षित अपने दैनिक कार्य में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निगम ने अनेक कदम उठाए। निगम के कार्यालय में तथा परियोजनाओं में हिन्दी कक्ष स्थापित किए गए हैं। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिए निगम के कार्यालय में तथा परियोजनाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं।

(च) औद्योगिक संबंध : वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे।

7. वित्तीय परिणाम :

(क) पूंजी तथा ऋण :

निगम की प्राधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपये बनी रही। इस वर्ष के दौरान अभिदत्त पूंजी में 9·8298 करोड़ रुपये तथा ऋण में 17·03 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। 31-3-1979 की स्थिति के अनुसार कुल शेयर पूंजी 83·3763 करोड़ रु० थी जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा अभिदत्त है। 31-3-79 की स्थिति के अनुसार ऋण की कुल राशि 60,67,43,600 रु० थी जो पूर्णतः केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ था तथा उसी तारीख को ऋण पर उपचित और देय ब्याज 6,20,17,860 रु० था।

(ख) व्यय :

आलोच्य वर्ष के दौरान परियोजनाओं पर किया गया वास्तविक व्यय निम्नानुसार था :—

(लाख रुपयों में)

परियोजना	कार्य	निर्माण के दौरान ब्याज	जोड़
(i) लोकतक	1186·08	164·54	1350·62
(ii) बैरा स्यूल	1255·22	339·86	1595·08

निगम द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं/पारेषण निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय नीचे लिखे अनुसार था :—

(1) सलाल (पारेषण लाइनों सहित) ··· 2337·70 लाख रुपये

(2) देवीघाट ··· 118·60 लाख रुपये

(3) सभी पारेषण निर्माण कार्य ··· 877·36 लाख रुपये

(ग) आतिथ्य सत्कार :

वर्ष के दौरान आतिथ्य सत्कार पर किया व्यय कुल 22,596·00 रुपये था। खर्चे का यूनिट-बार ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :—

निगम कार्यालय	···	14,680·00 रुपये
बैरा स्यूल	···	2,926·00 रुपये
लोकतक	···	4,990·00 रुपये

इसके अतिरिक्त सलाल और देवीघाट परियोजनाओं ने आतिथ्य सत्कार पर नीचे लिखे अनुसार व्यय किया :

(i) सलाल परियोजना : 8867·00 रुपये

(ii) देवीघाट परियोजना

(i) प्रतिनिधित्व के किस्म का आथित्य सत्कार : 3587·00 रुपये

(ii) अन्य आतिथ्य सत्कार : 981·00 रुपये

4568·00 रुपये

(घ) विज्ञापन तथा प्रचार :

इस शीर्ष के अन्तर्गत किया गया कुल व्यय 2,87,895 रु० है, जिसमें निगम कार्यालय का हिस्सा 1,80,441 रु० है। इस व्यय का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :—

(i) प्रचार-प्रसार पर :	6,708·59 रु०
(ii) दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन :	2416·02 रु०
(iii) अन्य स्रोतों के माध्यम से विज्ञापन :	2,78,770·39 रु०

इस शीर्ष के अन्तर्गत किए गए व्यय तथा कुल आय के बीच अनुपात का हिसाब नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इस कम्पनी ने अभी तक लाभ कमाना शुरू नहीं किया है।

(ङ) अतिथि गृह :

बैरा स्यूल और लोकतक परियोजनाओं पर अतिथि गृहों के रख रखाव पर किया गया व्यय क्रमश: 1,61,266 रु० और 1,74,188 रु० है। इसमें फील्ड होस्टलों पर किया गया व्यय भी शामिल है।

(च) निगम कार्यालय का किराया, रखरखाव पर तथा अन्य विविध व्यय :—

इस वर्ष के दौरान निगम के मुख्यालय में अनुरक्षण, फर्नीचर और अन्य संबंधित वस्तुओं आदि पर निम्नलिखित व्यय हुआ :—

(i) कार्यालय भवन का किराया	8,62,977 रु०
(ii) फर्नीचर (पूंजी लागत)	96,680 रु०
(iii) कार्यालय उपस्कर	1,32,388 रु०
(iv) (i) से (iii) तक की रख-रखाव पर लागत खर्च	53,190 रु०
(v) बिजली तथा जल प्रभार	41,455 रु०
(vi) अन्य खर्चे, छपाई और लेखन सामग्री, डाक खर्च तथा तार, टेलीफोन और टेलेक्स तथा अन्य विविध व्यय	6,43,950 रु०

(छ) विदेश के दौरे :—

वर्ष 1978-79 के दौरान निगम के कर्मचारियों द्वारा किए गए विदेशों के दौरों का संक्षिप्त विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ज) सामाजिक व्यय :

नगर-क्षेत्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं पर राजस्व की किस्म का किया गया व्यय नीचे लिखे अनुसार है :—

(लाख रुपयों में)

	नगर-क्षेत्र	शिक्षा	स्वास्थ्य सुविधायें
बैरा स्यूल	9·00	0·32	2·06
लोकतक	2·00	0·51	1·04
निगम कार्यालय	—	—	1·05

नोट :— परियोजनाओं पर नगर-क्षेत्र में आवासीय भवन अधिकांशत: अस्थायी किस्म के हैं जो निर्माण अवधि तक रहेंगे।

8· लेखा परीक्षकों की टिप्पणी :

लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर हमारी टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के अनुबंध III में दी गई हैं।

9· लेखा परीक्षक :

आपके निगम के वर्ष 1978-79 के लेखों की परीक्षा करने के लिए मैसर्ज एस० के० जैन एसोसिएट्स पुन: लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए।

10· निदेशक :

इस वर्ष के दौरान श्री एस० एन० रॉय ने आपके निगम के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार 20-5-78 से मेजर जनरल टी० वी० जगन्नाथन को सौंप दिया। श्री एस० एन० रॉय, श्री के० एस० सुब्रह्मण्यम, श्री वी० सुब्रामनियन, श्री ए० एन० सिंह तथा श्री एस० बी० मजूमदार निदेशक के पद पर बने रहे। श्री डी० राजा-

गोपालन तथा श्री पी० एम० बेलिअप्पा क्रमशः 5-7-78 तथा 31-1-1979 से बोर्ड में नियुक्त किए गए। श्री वी० कृष्णास्वामी, श्री आर० गोपालास्वामी तथा श्री वाई० के० मूर्ति क्रमशः 5-6-78, 26-7-78 और 1-11-78 से निदेशक के पद से हट गए। श्री एस० रमेश, जो 26-7-78 से निदेशक बने, 31-1-1979 से निदेशक के पद से हट गए। श्री एस० एन० रॉय द्वारा निगम के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के रूप में तथा श्री वी० कृष्णास्वामी, श्री आर० गोपालास्वामी, श्री एस० रमेश और श्री वाई० के० मूर्ति द्वारा निगम के निदेशक मण्डल के सदस्य के रूप में उनके द्वारा की गई बहुमूल्य सेवाओं की मण्डल ने प्रशंसा की और रिकार्ड में उसका विशेष उल्लेख हुआ।

11. कर्मचारियों का विवरण :

कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के अनुसार सूचना अनुबन्धIV में दी गई है, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।

12. आभार :

निदेशक मण्डल भारत सरकार के विभिन्न विभागों, विशेषतः ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आई०सी०एम०, नेपाल, केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उनके मार्गदर्शन और उनके द्वारा दी गई सहायता के लिए धन्यवाद देता है और आभार प्रकट करता है। मणिपुर राज्य सरकार, सिक्किम राज्य सरकार, जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्य बिजली बोर्डों ने अपने-अपने राज्यों में हमारे कार्यों में जो सहयोग दिया है उसके लिए हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। यदि इन एजेंसियों और अन्य एजेंसियों ने सहायता और सहयोग न दिया होता तो निगम के लिए अब तक की गई प्रगति करना सम्भव नहीं होता।

निदेशक मण्डल निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किये गए निष्कपट और परिश्रम पूर्ण कार्य के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता है और निदेशक मण्डल को पूरा विश्वास है कि आगामी वर्षों में वे इससे भी बेहतर कार्य निष्पादन का परिचय देंगे।

निदेशक मण्डल और उनकी ओर से
मेजर जनरल टी० वी० जगन्नाथन
पी०वी०एस०, एम०, ए०वी०एस०एम० (रिटायर्ड)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक 26-9-1979

अनुबन्ध-1

परियोजनाओं की मोटी-मोटी बातें

1. लोकतक जल-विद्युत परियोजना

लोकतक जल-विद्युत परियोजना एक बहुउद्देशीय योजना है। इस परियोजना में निम्न निर्माण कार्य हैं :—

अबटमेंट्स के बीच 10·7 मीटर ऊंचा और 58·8 मीटर लम्बा बैराज, 3·34 किलोमीटर लम्बी पावर चैनल बनाई जाएगी जिसका 2·267 किलोमीटर हिस्सा खुला रहेगा और 1·073 किलोमीटर हिस्सा कट और कवर सेक्शन वाला होगा, एक हैड रेस टनल जिसका व्यास 3·81 मीटर हार्स शू टाइप और लम्बाई 6·635 किलोमीटर होगी, एक सर्ज शाफ्ट जिसका व्यास 9·15 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर, पेनस्टाक 3 नग, प्रत्येक का व्यास 2·286 मीटर और औसत लम्बाई 1346 मीटर, 60·0 मीटर × 25·5 मीटर का पावर हाउस जिसमें तीन जेनरेटिंग यूनिटें होंगी और प्रत्येक की क्षमता 35 मेगावाट होगी और 132 के० वी० सिंगल सर्किट और 35 किलो-मीटर लम्बी संचार लाइन लीमातक पावर हाउस से इम्फाल तक बिछाई जाएगी।

2. बैरा स्यूल जल विद्युत परियोजना

बैरा स्यूल जल-विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के ज़िला चम्बा में स्थित है। इस परियोजना में रावी नदी में मिलने वाली बैरा, स्यूल और भालेध नाम की तीन सहायक नदियों के मिले-जुले पानी के बहाव को बिजली पैदा करने के लिए उपयोग में लाने का विचार है। इन तीन नदियों के संयुक्त प्रवाह को सुरंगों के जाल में से गुजारा जाता है और इसे सुरंगानी पावर स्टेशन पर 282 मीटर के ग्रास हैड से गिराया जाता है जिससे कि 180 मेगावट जल-विद्युत पैदा की जा सके। यह तीन जेनरेटिंग सैट की सहायता से किया जाता है जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 60 मेगावट है। अन्य कार्य इस प्रकार हैं :—

बैरा नदी के बीचों-बीच सबसे गहरे तल के ऊपर 51·5 मीटर ऊंचा एक राकफिल डैम बनाना ताकि पावर ड्राफ्टों में दैनिक विचरणों को पूरा करने के लिए 1·27 मि० क्यू० मी० का टिकाऊ स्टोरेज बनाए रखा जा सके, स्यूल और भालेध दोनों नदियों के आर-पार एक डाइ-वर्शन संरचना, बैरा डैम से सर्ज-शाफ्ट तक 5 मीटर व्यास की 7634 मीटर लम्बी हैड-रेस टनल, भालेध तथा स्यूल डाइवर्शन संरचनाओं से मुख्य सुरंग तक 2·75 मीटर व्यास की दो सुरंगें जिनकी लम्बाई क्रमशः 7830 मीटर और 44 मीटर होगी, लगभग 500 मीटर लम्बे 2·75 मीटर व्यास के तीन पेनस्टाक, 60 मेगावट प्रत्येक के तीन यूनिटों वाला एक सरफेस पावर स्टेशन, जिसका डिजाइन 282 मीटर के कुल हैड पर संचालन के लिए होगा, उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड से जोड़ने के लिए स्टेशन से पोंग स्विच यार्ड (तलवाड़ा के पास) तक 96 किलोमीटर लम्बी 220 किलोवाट की डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और 48 मीटर लम्बी टेल-रेस चैनल।

3. सलाल जल-विद्युत परियोजना

सलाल जल-विद्युत परियोजना प्रथम चरण में चिनाब नदी की निचली सतह वाली पहुंच से पानी के टपकाव को बिजली बनाने के लिए काम में लाने का अवसर देती है। विद्युत उत्पादन का यह काम 3 यूनिटों के संस्थापन से किया जाना है जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 115 मेगावट है। इस परियोजना में चिनाब नदी के आरपार 118 मीटर ऊंचा बांध (नींव की सबसे गहरी सतह के ऊपर) बनाने का विचार है ताकि बहाव को पावर हाउस की तरफ से मोड़ा जा सके। पहले चरण में इस पावर हाउस में तीन यूनिटें बनाई जाएंगी जिनमें प्रत्येक की क्षमता 115 मेगावट होगी। 35 मीटर की रिज पर कंक्रीट का 109 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा जिस पर 12 बे-स्पिलवे और पावर हाउस इन्टेक बनेंगे। पावर हाउस से निकलने वाला पिछला पानी कंक्रीट की बनी 11 मीटर व्यास वाली टेलरेस सुरंग में बहेगा। इस सुरंग की लम्बाई 2·4 किलोमीटर होगी जो विद्युत

उत्पादन के लिए 10.8 मीटर अतिरिक्त हैड प्रदान करती है। राकफिल बांध बनाने के दौरान पानी के बहाव को कंक्रीट की बनी हुई 9.14 मीटर व्यास वाली सुरंग में से मोड़ा जाएगा। इस परियोजना से जो बिजली पैदा होगी उसे दसूआ (पंजाब) के मुख्य ग्रिड स्टेशन को 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइनों द्वारा भेजा जाएगा।

4. देवीघाट जल-विद्युत परियोजना

यह परियोजना त्रिशूली नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और त्रिशूली हाइडल परियोजना के टेलरेस पानी का उपयोग करती है। त्रिशूली हाइडल परियोजना बहाव की उलटी ओर स्थित है। परियोजना में ये बातें शामिल हैं :—

(क) वर्तमान त्रिशूली पावर स्टेशन के टेलरेस के आरपार एक डाइवर्शन वीयर और पानी को देवीघाट प्रोजेक्ट वाटर कंडक्टर सिस्टम में ले जाने के लिए एक हैड रेगुलेटर।

(ख) 45·3 मी०³ / सेकेण्ड के शीर्ष बहाव (पीक डिस्चार्ज) को इनटेक से फोरबे तक ले जाने के लिए एक वाटर कंडक्टर सिस्टम जिस में निम्न शामिल होगा :—

- (i) कट व कवर कन्ड्यूट का 357·3 मीटर।
- (ii) खुले चैनल नं० 1 का 1052·1 मीटर।
- (iii) सुरंग नं० 1 का 889 मीटर।
- (iv) खुले चैनल नं० 2 का 1351·9 मीटर।
- (v) सुरंग नं० 2 का 1252 मीटर।

(ग) फोरबे।

(घ) फोरबे से पावर हाउस तक 2300 मि० मी० भीतरी व्यास के तीन पेनस्टाक।

(ङ) 4·7 मेगावट प्रत्येक के 3 यूनिटों को रखने के लिए पावर हाउस।

(च) पावर हाउस से त्रिशूली नदी तक टेलरेस चैनल।

(छ) त्रिशूली नदी के आरपार पावर हाउस के पास एक स्थायी पुल।

(ज) ट्रांसमिशन लाइनें एवं सब-स्टेशन।

नैशनल
हाइड्रोइलैक्ट्रिक
पावर
कारपोरेशन लि.

अनुबंध-II

1978-79 के दौरान विदेश के दौरों का ब्यौरा

क्रम सं०	नाम व पद	देश/स्थान जहां का दौरा किया	दौरे का प्रयोजन	दौरे की अवधि	कुल खर्च
1	2	3	4	5	6
					रु०
1.	श्री वाई० पी० सिंह, वरिष्ठ इंजीनियर	आस्ट्रिया, पश्चिमी जर्मनी, हंगरी, यू० के०, फ्रांस	'एल्पाइन माइनर' के संचालन में प्रशिक्षण, रख-रखाव और उसके कुल निष्पादन का अवलोकन, शाटक्रीटिंग और राक बोल्टिंग प्रणाली तथा विभिन्न प्रकार की शील्डों के कार्य करने के अध्ययन के लिए।	57 दिन	29,103.40
2.	श्री एम० एल० सीकरी, अधीक्षण अभियंता	-वही-	-वही-	57 दिन	20,168.00
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ट इंजीनियर	आस्ट्रिया	'एल्पाइन माइनर' के संचालन व रख-रखाव में प्रशिक्षण और उसके कुल निष्पादन के अवलोकन के लिए।	42 दिन	15,231.00
4.	श्री अमृतपाल सिंह, वरिष्ठ इंजीनियर	-वही-	-वही-	42 दिन	17,723.00
5.	श्री स्वर्ण सिंह, शोवल आपरेटर	-वही-	-वही-	42 दिन	14,781.00

अनुबंध-II जारी

1978-79 के दौरान विदेश के दौरों का ब्यौरा

क्रम सं०	नाम व पता	देश/स्थान जहां का दौरा किया	दौरे का प्रयोजन	दौरे की अवधि	कुल खर्च
1	2	3	4	5	6
6.	श्री उज्जागर सिंह, फोरमैन	-वही-	-वही-	42 दिन	14,781.00
7.	श्री ए० एस० चतरथ, महा प्रबंधक	यू० के०, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, आस्ट्रिया और पश्चिमी जर्मनी ।	टनलिंग पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने, टनलिंग में आधुनिक तकनीकों के अध्ययनार्थ सुरंगों के अवलोकन के लिए ।	24 दिन	41,888.50
8.	मेजर जनरल टी० वी० जगन्नाथन, अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	आस्ट्रिया, पश्चिमी जर्मनी, स्विट्जरलैंड	टनलिंग में आधुनिक तकनीकों के अध्ययन के लिए ।	7 दिन	22,503.00
9.	श्री अजायब सिंह, सहायक इंजीनियर	-वही-	-वही-	7 दिन	15,538.00

अनुबंध-III

वर्ष 1978-79 के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियों पर टिप्पणियां ।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का पैरा नं०	प्रबंधक वर्ग की टिप्पणियां
2 (i)	लेखा की वाणिज्यिक प्रणाली अपना लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान प्राप्त किराया तथा ठेकेदारों से वसूल किए गए किराया प्रभार व देय राशियां दर्शाने वाले रजिस्टर खोल लिए गए हैं। उपयुक्त भण्डारों एवं फालतू पुर्जों का हिसाब संबंधित डिविजनल कार्यालय के रजिस्टरों में रखा जाता है ।
2 (ii)	परियोजनाओं की बहियों के अनुसार कुछ शेष राशियों का महालेखाकार की पुस्तकों से समाधान/पुष्टि शुरू की गई है । डिविजनल कार्यालयों ने लेखों की सी० पी० डब्ल्यू० डी० प्रणाली के अधीन जिन मामलों को ऋण, जमा तथा धन प्रेषणों के शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया है उनकी समीक्षा की जा रही है ताकि ऐसी शेष राशियां फलाई जा सकें जो संबंधित परियोजना के कम्पनी को हस्तांतरित होने के समय केन्द्रीय सरकार से वसूली जाती हैं ।
	सप्लायरों और ठेकेदारों से प्राप्त सिक्यूरिटियों तथा बयाने की जमा राशियों के विस्तृत लेखे परियोजनाओं में रखे जाते हैं । नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा जमा राशियों के बारे में सूचना उस कारपोरेशन को दे दी गई है और लेखों के बारे में उनकी तसल्ली हो गई है ।
2 (v)	केन्द्रीय बिक्री कर देयता की कोई व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि इस प्रकार की किसी देयता की कोई संभावना नहीं है ।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा-1 में संदर्भित रिपोर्ट का अनुबंध

1. परिस्थीय ब्यौरे परियोजना के लेखों में समुचित रूप से रिकार्ड कर दिए जाएंगे ।

बैरा स्यूल परियोजना के लिए परिसम्पत्ति रजिस्टर डिविजनल कार्यालयों में रखे जा रहे हैं और बड़े विस्तृत ढंग से उनकी समीक्षा की जा रही है । जहां तक देवीघाट परियोजना का संबंध है वहां अभी परिसंपत्तियां बन रही हैं और जब इस प्रकार की परिसंपत्तियां बन जाएंगी आवश्यक संपत्ति रजिस्टर रख लिए जाएंगे । सलाल परियोजना जो कि एजेंसी आधार पर निष्पादित हो रही है, के बारे में जो रजिस्टर रखे गए हैं वे सी० पी० डब्ल्यू० डी० लेखा प्रणाली के अनुसार हैं । जहां तक ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटों का संबंध है, वहां अभी परिसंपत्तियां बन रही हैं और आवश्यक रजिस्टर रखे जा रहे हैं ।

जहां कहीं परिसंपत्तियाँ निर्मित हुई हैं वहां परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन हो चुका है ।

3 और 8 : भण्डारों एवं फालतू पुर्जों का वास्तविक सत्यापन किया गया है । कमियों के बारे में जो त्रुटियां हैं उनकी जांच हो रही है और आवश्यक समंजन कर लिया जाएगा ।

वर्ष 1978-79 के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियों पर टिप्पणियां ।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का पैरा नं०	प्रबंधक वर्ग की टिप्पणियां
	6. देवीघाट परियोजना, जो कि भारत सरकार की ओर से निष्पादनार्थ अभी-अभी शुरू की गई है, के बारे में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं बना कर लागू कर दी गई हैं ।
	11. आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली चालू कर दी गई है और एक आन्तरिक लेखा परीक्षा मेनुअल भी बना लिया गया है । परियोजनाओं, ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटों और कारपोरेट कार्यालय के लेखा परीक्षा का कम से कम एक चक्र प्रबंध द्वारा निश्चित आवर्तन और मात्रा के अनुसार पूरा कर लिया गया है । वर्तमान प्रणाली संतोषजनक ढंग से चल रही है और प्रबंध भी संतुष्ट है कि चल रही प्रणाली कार्यों के आकार एवं क्षेत्र से मेल खाती है ।
	13. लेखों पर टिप्पणियों की टिप्पणी नं० 7 - कृपया देखें अनुसूची 'ज' ।

अनुबंध-IV

कम्पनी नियम, 1975 (कर्मचारियों का ब्यौरा) के साथ पठित धारा 217(2)(ए) के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना

नाम व पद	पारिश्रमिक	रोजगार का रूप (अनुबंधित या अन्य)	योग्यता (अनुभव)	ने० हा० पा० का० में सेवारंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
(क) उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिन्होंने पूरा वित्तीय वर्ष कार्य किया और जिनका पारिश्रमिक पूरे वर्ष में 36,000/- रुपये से कम नहीं था।						
श्री वी० सुब्रामनियन निदेशक (वित्त)	रु० 61,239	सी० ए० जी० के दफ्तर से प्रतिनियुक्ति पर	बी० एस० सी०(आनर्स) एल० एल० बी० (26वर्ष)	27-1-1978	50	लेखा सदस्य, केरल राज्य विद्युत बोर्ड।
श्री आर० सी० गुप्ता महा प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन)	रु० 48,764	नियमित	व्यवसायिक प्रबंधक (35 वर्ष)	4-4-1977	54	उप महा प्रबंधक (कार्मिक) बी०एच० ई० एल०।
श्री के० बी० माथुर महा प्रबंधक (पारेषण)	रु० 54,479	यू० पी० स्टेट इलै० बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी० एस० सी० (इंजीनियरिंग) (27 वर्ष)	1-11-1976	47	संयुक्त सचिव यू० पी० एस० ई० बी०, लखनऊ।
श्री एम० पी० त्यागी, महा प्रबंधक (सिविल खण्ड)	रु० 45,261	यू० पी० सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	बी० ई० (आनर्स) (29 वर्ष)	17-5-1977	52	निदेशक, केन्द्रीय डिजाइन निदेशालय यू० पी० स्टेट सिंचाई विभाग
(ख) उन कर्मचारियों के ब्यौरे जिन्होंने आंशिक वित्तीय वर्ष के लिए काम किया और जिनका पारिश्रमिक 3000/- रुपये प्रति मास से कम नहीं था।						
श्री आर० राजागोपालन, महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	रु० 16,654	सी० ए० जी० आफ इंडिया के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर	बी० एस० सी०, बी० एल० (25 वर्ष)	19-11-1978	50	महा लेखाकार, जम्मू तथा कश्मीर

नोट : (1) उपरोक्त कर्मचारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थों की दृष्टि से निगम के किसी निदेशक के संबंधी नहीं हैं।

(2) नौकरी की शर्तें वही हैं जो समय-समय पर यथा स्थिति, कम्पनी पर लागू सरकारी नियम एवं उपनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं।

(3) उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट पदनाम कर्मचारियों द्वारा अदा की गई ड्यूटियों के प्रकार को दर्शाते हैं।

लोकतक सुरंग—फेस-5

नैशनल
हाइड्रोइलैक्ट्रिक
पावर
कारपोरेशन लि.

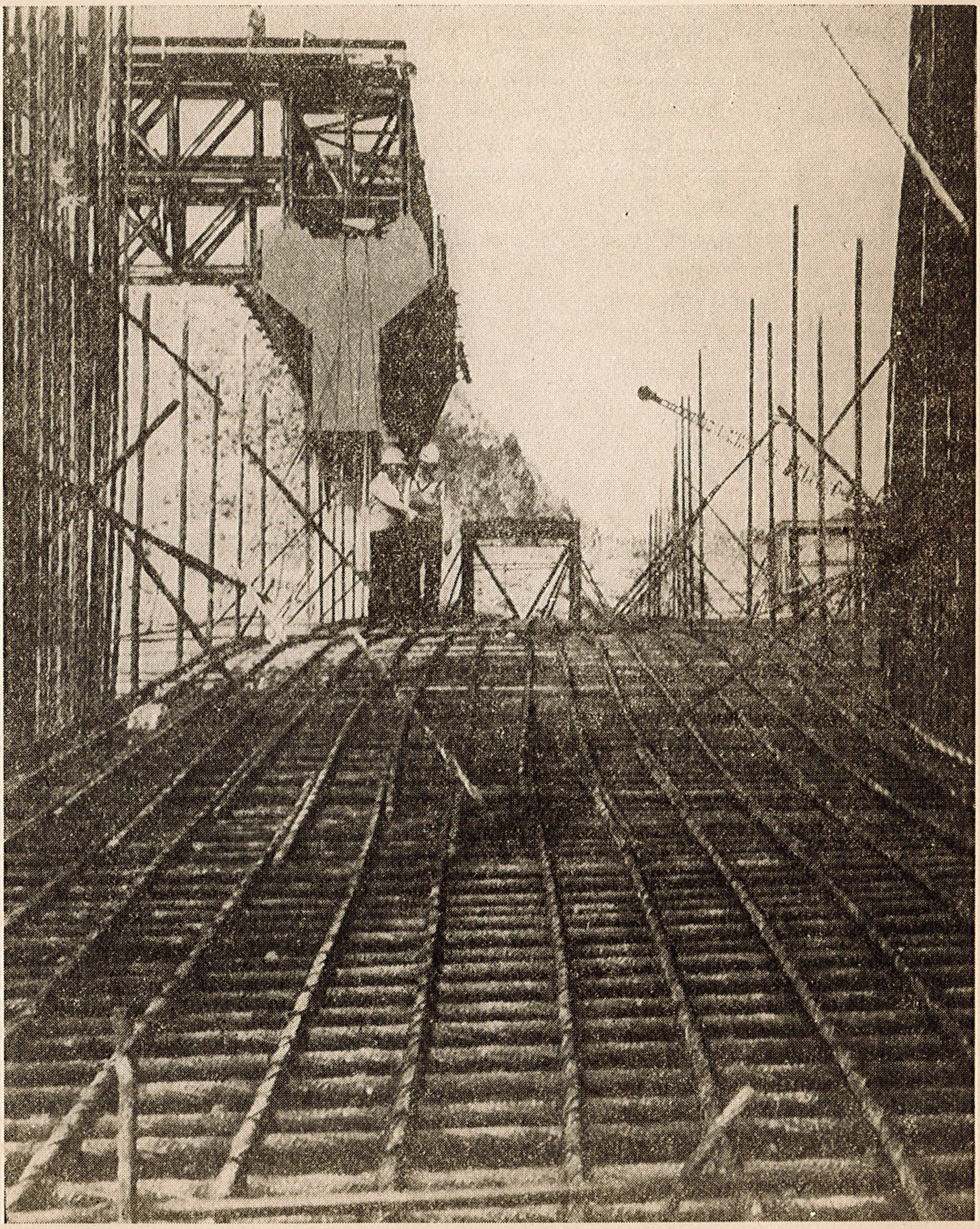

सलाल बांध पर प्रबलीकरण (रीइन्फोर्समैन्ट) का निकट का दृश्य

31-3-1979 तक का तुलन पत्र

देयताएं	अनुसूची सं०	31-3-79 को स्थिति	31-3-78 को स्थिति
		०	रु०
हिस्सा पूंजी	'क'	83,37,63,000	76,47,63,000
मणिपुर सरकार का अंशदान (लिफ्ट सिंचाई पुर्जों का हिस्सा)		2,01,28,570	—
अरक्षित ऋण	'ख'	66,87,61,460	43,64,43,600
चालू देयतायें व व्यवस्थायें	'ग'	6,10,56,718	4,77,15,523
जोड़		158,37,09,748	124,89,22,123

मेजर जन० टी०वी० जगन्नाथन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

वी० सुब्रामनियन
निदेशक (वित्त)

31-3-1979 तक का तुलन पत्र

परिसम्पत्तियां	अनुसूची सं०	31-3-79 को स्थिति	31-3-78 को स्थिति
		रु०	रु०
प्रयोग में लाई गई स्थिर परिसंपत्तियां	'घ'	7,80,08,348	7,99,34,202
चल रहे निर्माण कार्य	'ङ'	133,32,07,356	104,85,98,983
चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	'च'	16,94,89,690	11,73,84,584
विविध खर्च (जो बही-खाते नहीं डाले गये और समायोजित नहीं किए गए)	'छ'	30,04,354	30,04,354
जोड़		158,37,09,748	124,89,22,123

अनुसूची 'छ' के अनुसार लेखों के हिस्से के रूप में टिप्पणियां । अनुसूची 'क' से 'छ' तक तुलनपत्र का अभिन्न अंश हैं ।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
संलग्न सम तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
द्वारा एस० के० जैन ऐसोसिएट्स चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स
एस० के० जैन
भागीदार

एन० वी० रामन
सचिव
नई दिल्ली :
तारीख : 21-9-1979

31-3-1979 की समाप्ति पर निर्माण लेखा के दौरान प्रासंगिक व्यय

विवरण	31-3-79 को स्थिति	31-3-78 को स्थिति
	रु०	रु०
वेतन, मजदूरी और भत्ते	1,09,30,503	45,09,300
विदेश सेवा अंशदान	3,69,320	70,058
स्टाफ कल्याण व्यय	2,62,908	2,26,919
सी० पी० एफ० अंशदान	9,36,333	4,12,582
निदेशक की फीस व व्यय	3,702	453
निदेशक का यात्रा भत्ता	26,195	19,282
यात्रा व्यय - अन्य	12,80,741	5,66,961
लेखा परीक्षा फीस (1977-78 की 5000/- रु० सहित)	15,000	5,000
किराया	8,62,977	8,75,525
दरें व कर	5,531	44,428
निवास के लिए किराया	2,32,671	1,20,954
बीमा	2,01,134	3,17,267
ब्याज, बैंक व वित्त व्यय	5,04,57,324	2,19,86,760
मरम्मत-भवन	11,27,558	10,70,634
मरम्मत-मशीनरी	15,32,244	1,41,077
मरम्मत-अन्य	23,82,363	31,53,704
मूल्य ह्रास	1,03,61,433	1,00,190
बिजली व जल व्यय	3,46,317	9,92,170
विज्ञापन	2,87,895	1,26,041
डिजाइन व परामर्श	3,25,044	2,73,611
मनोरंजन खर्चे	22,596	3,331
डीजल पावर हाउस पर व्यय	5,61,838	16,77,234
लेखा परीक्षक खर्चे	9,047	8,375
छपाई व लेखन सामग्री	3,50,367	—
टेलीफोन टेलैक्स व्यय	8,85,292	—
परिवहन व्यय	23,97,802	—
ग्रेच्यूटी फंड से अंशदान	4,00,000	—
स्टाफ कारों का संचालन एवं रख रखाव	8 40,243	—
ट्रांसपोर्ट यार्ड	13,63,800	—
अन्य खर्चे	33,81,383	23,21,077
	9,21,59,561	3,90,22,933

31-3-1979 की समाप्ति पर निर्माण लेखा के दौरान प्रासंगिक व्यय

विवरण	31-3-79 को स्थिति	31-3-78 को स्थिति
	रु०	रु०
घटाएं प्राप्तियां		
बिजली के खर्चे	6,41,285	42,41,614
टेंडरों की बिक्री	57,847	19,661
यंत्र एवं मशीनरी का किराया व्यय	1,88,949	8,95,260
पानी के खर्चे	16,212	2,731
निम्न पर प्राप्त ब्याज		
(i) अवधि जमा व बचत बैंक खाता	8,54,868	5,76,914
(ii) अन्य	2,43,111	1,67,812
किराया	61,681	42,499
विविध आय	13,33,950	2,44,754
	33,97,903	61,91,245
निवल व्यय	8,87,61,658	3,28,31,688

प्रबन्धकीय पारिश्रमिक

उपरोक्त में निदेशक को अदा की गई निम्न राशियां शामिल हैं :—

(i) वेतन तथा भत्ते	34,081
(ii) विदेश सेवा अंशदान	6,342
(iii) रिहायशी स्थान (निगम द्वारा अदा किया गया कुल मकान किराया)	8,700
(v) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	4,356
(iv) छुट्टी यात्रा रियायत	3,560

उपरोक्त के अलावा, पूर्ण-कालिक निदेशक को दफ्तर के काम संबंधी यात्रा के लिए कम्पनी के शोफर द्वारा चालित तथा 500 कि० मी० तक की प्राइवेट यात्रा के लिए 100 रु० प्रति मास देने पर कार के इस्तेमाल की भी अनुमति दी गई।

मेजर जन० टी० वी० जगन्नाथन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

वी० सुब्रामनियन
निदेशक (वित्त)

एन० वी० रामन
सचिव

एस० के० जैन एसोसिएट्स,
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स की ओर से
एस० के० जैन
भागीदार

नई दिल्ली :
दिनांक : 21 सितम्बर, 1979

31-3-1979 वर्ष की समाप्ति पर निर्माण विनियोजन लेखा के दौरान प्रासंगिक व्यय

	रु०	रु०	रु०
निर्माण लेखा के दौरान प्रासंगिक व्यय से पिछले जोड़ की राशि तथा निम्न को विनियोजित :—			8,87,61,658
'क' ट्रांसमिशन कन्सट्रक्शन यूनिट डिपाजिट-कार्य ।			
(अ) गंगतोक मेल्ली तथा गंगतोक दिक्चू	2,43,710		
(आ) लीमातक-जिरीबाम	69,040		
(इ) गंडक-रामनगर	1,35,585		
(ई) कानपुर सिंगरौली	12,71,972	17,20,307	
'ख' एजेन्सी आधार पर परियोजनाएं			
(अ) सलाल	15,81,208		
(आ) देवीघाट	72,172	16,53,380	
'ग' कारपोरेट परियोजनाएं			
(अ) (i) बैरा स्यूल सीधा खर्च	4,73,74,635		
(ii) कारपोरेट कार्यालय खर्च का हिस्सा	11,54,740	4,85,29,375	
(आ) लोकतक			
(i) सीधा खर्च	3,58,92,666		
(ii) कारपोरेट कार्यालय खर्च का हिस्सा	9,65,930	3,68,58,596	8,87,61,658
शेष			शून्य

अनुसूची 'क'—शेयर पूंजी

			31-3-79 को स्थिति	31-3-78 को स्थिति
			रु०	रु०
प्राधिकृत पूंजी				
20,00,000 इक्विटी शेयर-1000 रु० प्रति शेयर।			200,00,00,000	200,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी				
1000 रु० प्रति शेयर की दर से पूर्ण-रूपेण नकद प्रदत्त 204233 इक्विटी शेयर		20,42,33,000		
629529 इक्विटी शेयर - 1000 रु० प्रति शेयर प्रत्येक पूर्ण-रूपेण प्रदत्त जिनकी खरीद के बदले में कोई आंशिक राशि नकद प्राप्त नहीं हुई।				
लोकतक परियोजना	16,85,29,000			
बैरा स्यूल परियोजना	46,10,00,000	62,95,29,000	83,37,62,000	73,54,64,000
शेयर पूंजी डिपोजिट				
भारत सरकार से नकद प्राप्त राशि-लोकतक परियोजना के लिए 400/- रु० व 600/- रु० मूल्य के जिनकी खरीद के बदले में कोई आंशिक राशि नकद प्राप्त नहीं हुई, शेयर का नियतन प्रतीक्षित।			1,000	2,92,99,000
			83,37,63,000	76,47,63,000

असुरक्षित ऋणों की अनुसूची 'ख'

	31-3-79	31-3-78
1. भारत सरकार से ऋण	60,67,43,600	43,64,43,600
2. भारत सरकार के ऋणों पर उपचित व देय ब्याज	6,20,17,860	—
	66,87,61,460	43,64,43,600

अनुसूची 'ग'—चालू देयताएं व व्यवस्थाएं

विवरण		31-3-79 को स्थिति	31-3-78 को स्थिति
		रु०	रु०
'क' चालू देयताएं			
1. फुटकर लेनदार		66,53,029	—
2. अन्य देयताएं			
(i) डिपाजिट कार्यों की न खर्च की गई राशि			
(अ) गंगतोक ट्रां० कं० यू०	35,71,250		
(आ) लीमातक-जिरीबाम ट्रां० कं० यू०	89,79,191	1,99,30,962	97,53,611
(इ) गंडक-रामनगर ट्रां० कं० यू०	30,84,851		
(ई) इलाहाबाद ट्रां० कं० यू०	42,95,670		
(ii) एजेंसी आधार पर पूरी की जा रही परियोजनाओं के लिए प्राप्त फंड का शेष			
(अ) सलाल परियोजना	95,67,948	1,70,79,043	—
(आ) देवीघाट परियोजना	75,11,095		
(iii) अन्य देयताएं			
(अ) नकद जमा	8,45,667	10,04,124	7,68,291
(आ) नकदी के अलावा	1,58,457		
(iv) अन्य देयताएं		5,72,466	1,08,87,214
3. ब्याज उपचित परन्तु देय नहीं		1,42,24,394	2,58,98,107
'ख' व्यवस्थाएं			
सी० पी० एफ/ई० पी० एफ०		11,92,700	4,08,300
ग्रेच्यूटी		4,00,000	—
		6,10,56,718	4,77,15,523

अनुसूची - 'ग' का अनुबंध - डिपाजिट कार्य तथा ऐजेंसी आधार पर परियोजनाएं - 31-3-1979 को स्थिति

क्रम सं०	विवरण	जमा की गई राशि	31-3-78 तक खर्च	वर्ष के दौरान	ऊपरी खर्च	31-3-1979 तक कुल खर्च	शेष
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
'क'	डिपाजिट कार्य (ट्रांसमिशन लाइनें)						
1.	गंगतोक से मेल्ली	1,92,49,000	42,48,534	1,21,85,506	2,43,710	1,66,77,750	25,71,250
2.	गंगतोक से दिक्चू	10,00,000	—	—	—	—	10,00,000
3.	लीमातक-जिरीबाम	1,44,94,000	19,93,767	34,52,002	69,040	55,14,809	89,79,191
4.	रामनगर से गंडक	1,05,18,000	5,18,336	69,79,228	1,35,585	74,33,149	30,84,851
5.	इलाहाबाद	8,11,52,000	1,19,85,752	6,35,98,606	12,71,972	7,68,56,330	42,95,670
		12,64,13,000	1,87,46,389	8,60,15,342	17,20,307	10,64,82,038	1,99,30,962
'ख'	एजेन्सी आधार पर परियोजनाएं						
1.	सलाल परियोजना (सलाल ट्रांसमिशन लाइन सहित)	22,33,88,000	—	21,22,38,844	15,81,208	21,38,20,052	95,67,948
2.	देवीघाट परियोजना	1,75,00,000	—	99,16,733	72,172	99,88,905	75,11,095
		24,08,88,000	—	22,21,55,577	16,53,380	22,38,08,957	1,70,79,043

अनुसूची 'घ' - प्रयोग में निश्चित परिसंपत्तियां

क्रम सं०	विवरण	कुल ब्लॉक			मूल्य ह्रास			निवल ब्लॉक	
		31-3-78 को लागत	*वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	31-3-79 को लागत	1977-78	1978-79	जोड़	31-3-1979 को स्थिति	31-3-1978 को स्थिति
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1.	भूमि	—	15,84,154	15,84,154	—	—	—	15,84,154	—
2.	भवन	—	89,64,428	89,64,428	—	7,83,241	7,83,241	81,81,187	—
3.	संयंत्र तथा मशीनरी	—	4,11,93,553	4,11,93,553	—	22,69,760	22,69,760	3,89,23,793	—
4.	फर्नीचर फिक्सचर व कार्यालय उपस्कर	11,09,419	9,51,740	20,61,159	86,596	1,92,808	2,79,404	17,81,755	10,22,823
5.	गाड़ियां	68,156	37,19,165	37,87,321	6,959	8,80,456	8,87,415	28,99,906	61,197
6.	विविध उपस्कर (निगम पूर्व)	—	3,07,96,941	3,07,96,941	—	61,59,388	61,59,388	2,46,37,553	—
7.	तकनीकी बहियां	43,581	38,834	82,415	6,635	75,780	82,415	—	36,946
		12,21,156	8,72,48,815	8,84,69,971	1,00,190	1,03,61,433	1,04,61,623	7,80,08,348	11,20,966

*बही समंजन शामिल है ।

अनुसूची 'घ' - प्रयोग में निश्चित परिसंपत्तियां

क्रम सं०	विवरण	कुल ब्लॉक: 31-3-78 को लागत	कुल ब्लॉक: *वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	कुल ब्लॉक: 31-3-79 को लागत	मूल्य ह्रास: 1977-78	मूल्य ह्रास: 1978-79	मूल्य ह्रास: जोड़	निवल ब्लॉक: 31-3-1979 को स्थिति	निवल ब्लॉक: 31-3-1978 को स्थिति
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1.	भूमि	—	15,84,154	15,84,154	—	—	—	15,84,154	—
2.	भवन	—	89,64,428	89,64,428	—	7,83,241	7,83,241	81,81,187	—
3.	संयंत्र तथा मशीनरी	—	4,11,93,553	4,11,93,553	—	22,69,760	22,69,760	3,89,23,793	—
4.	फर्नीचर फिक्सचर व कार्यालय उपस्कर	11,09,419	9,51,740	20,61,159	86,596	1,92,808	2,79,404	17,81,755	10,22,823
5.	गाड़ियां	68,156	37,19,165	37,87,321	6,959	8,80,456	8,87,415	28,99,906	61,197
6.	विविध उपस्कर (निगम पूर्व)	—	3,07,96,941	3,07,96,941	—	61,59,388	61,59,388	2,46,37,553	—
7.	तकनीकी बहियां	43,581	38,834	82,415	6,635	75,780	82,415	—	36,946
		12,21,156	8,72,48,815	8,84,69,971	1,00,190	1,03,61,433	1,04,61,623	7,80,08,348	11,20,966

*बही समंजन शामिल है ।

अनुसूची 'ङ'- चालू निर्माण कार्य

विवरण	31-3-1979 को स्थिति	31-3-1978 को स्थिति
हाइड्रालिक पावर प्लांट		
आरम्भिक खर्चे	12,25,801	—
सर्वेक्षण पर खर्चे	4,06,808	—
भूमि तथा भूमि अधिकार (विकास खर्चों सहित)		
पूरे हक के अधीन भूमि मिल्कियत	6,44,956	21,16,767
पट्टे के अधीन ली गई भूमि	17,162	17,162
भवन तथा सिविल इंजीनियरिंग कार्य	12,13,61,996	9,10,28,979
संचार	69,54,028	—
हाइड्रालिक कार्य डैम तथा बैराज स्पिलवे वीयर	3,86,28,083	
हाइड्रालिक नियंत्रण - सुरंगें	61,69,02,956	
हाइड्रालिक नियंत्रण - नहरें, वाटर चैनल तथा खुले व ढके पावर चैनल	5,52,65,645	56,34,24,664
पेनस्टाक	84,97,365	88,11,650
हाइड्रालिक कार्य-एडिट डाइवर्शन कार्य, कॉफर डैम, तट बन्ध आदि	4,02,359	67,89,952
जेनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी	26,18,61,212	
केबल कनेक्शन सहित स्विचगियर लाइटनिंग अरेस्टर्स	6,88,018	18,45,32,623 7,39,37,676
विविध पावर प्लांट उपस्कर	5,63,775	
सहायक कार्य	5,29,02,737	4,66,66,582
निर्माण के प्रासंगिक खर्चे	12,50,18,850	3,96,30,879
परामर्श खर्चे	2,59,976	—

अनुसूची 'ङ' - चालू निर्माण कार्य—जारी

विवरण	31-3-1979 को स्थिति	31-3-1978 को स्थिति
ट्रांसमिशन प्लांट		
बिल्डिंग तथा सिविल इंजीनियरिंग कार्य	5,64,098	
संचार	58,672	
सब स्टेशन उपस्कर	9,46,559	
केबल कनेक्शन सहित स्विचगियर	180	
लाइटनिंग अरेस्टर्स	793	
भूमिगत केबल	1,37,867	4,26,90,841 6,77,64,444*
टावर, खम्बे व फिक्सचर्स	8,455	
ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें (ऊपरी कनडक्टर व यन्त्र)	3,88,64,318	
मीटर उपस्कर	20,207	
अन्य कार्य (विनिर्देशीय)	10,04,480	
	133,32,07,356	112,74,12,219

* निश्चित परिसंपत्तियों को हस्तान्तरित

अनुसूची 'च'-चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां

क्रम सं०	विवरण	31-3-1979 को स्थिति	31-3-1978 को स्थिति
1.	बैंक जमा पर उपचित व देय ब्याज	3,99,185	11,507
2.	स्टोर व फालतू पुर्जे (प्रबंधक गण द्वारा मूल्यित व प्रमाणित)	4,65,40,107	5,64,49,248
3.	**नकदी व बैंक में शेष**		
	नकदी, अग्रदाय, पोस्टल आर्डर व डाक टिकटें	5,05,850	1,25,877
	नकद मार्गस्थ (इन ट्रांजिट) (देवीघाट)	5,00,000	—
	अनुसूचित बैंक में शेष	4,40,52,064	1,55,47,974
	अल्प अवधि जमा	—	50,00,000
4.	**फुटकर देनदार**	—	11,22,873
5.	**अन्य चालू परिसंपत्तियां** वर्कशाप व सामान्य सस्पैन्स	37,48,554	31,53,299
6.	ऋण तथा पेशगियां	7,37,43,930	3,59,73,806
		16,94,89,690	11,73,83,584

अनुसूची 'छ' विविध खर्च

विवरण	31-3-1979 को स्थिति	31-3-1978 को स्थिति
विविध खर्च (बट्टे खाते या समंजन न किए गए की सीमा तक)	रु०	रु०
आरम्भिक खर्च	30,04,354	30,04,354

अनुसूची 'ज'—लेखा पर टिप्पणियाँ

1. लाभ व हानि का लेखा तैयार नहीं किया गया क्योंकि निगम के प्रमुख कार्य निर्माणाधीन हैं तथा अभी तक उसने राजस्व कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। फिर भी, निर्माण के दौरान हुए प्रासंगिक व्यय का लेखा और प्रासंगिक व्यय विनियोजन लेखा तैयार कर लिए गए हैं।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची IV के भाग II द्वारा वांछित सूचना नीचे दी जा रही है :—

वे कर्मचारी जिन्होंने कुल 36,000/- रुपये प्रति वर्ष या 3,000/-रुपये या अधिक प्रति माह लिया।

	कर्मचारियों की संख्या	वेतन व मजदूरी	परिलब्धियों का मूल्य	योग
(i) पूरे वर्ष कार्यरत रहे।	4	1,32,481	38,246	1,70,727
(ii) वर्ष में कुछ समय ही कार्य किया।	1	11,150	3,150	14,300

3. लेखा में आयकर की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि कम्पनी को ऐसी किसी देयता की संभावना नहीं है।

4. वर्ष 1977-78 के लिए लेखा परीक्षकों की अनुमोदित फीस का भुगतान कर दिया गया है। इसके लिए 10,000/-रुपये की जो राशि वर्ष 1977-78 के लिए अनुमोदित की गई थी, वर्ष 1978-79 के लिए भी वही रखी गयी है। फिर भी, लेखा परीक्षकों ने सूचित किया है कि उन्होंने, कम्पनी, विधि बोर्ड की, लेखा परीक्षा फीस बढ़ाने के लिए प्रतिवेदन दिया है। फीस में ऐसी किसी भी वृद्धि का जब अनुमोदन हो जाएगा, तब उसका लेखा जोखा होगा।

5. लेखा परीक्षकों के जेब खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

6. लोकतक तथा बैरा स्यूल परियोजनाओं के विषय में, हस्तांतरण के दिन उनकी परिसंपत्तियों व देयताओं का विस्तृत सत्यापन किया गया। परियोजनाओं के खातों के अनुसार कुछ शेषों का समाधान/पुष्टि, महालेखाकार के खातों के साथ करने का काम शुरू किया गया। कम्पनी की तत्संबंधित परियोजनाओं के हस्तांतरण की पूर्व संध्या को, केन्द्र सरकार से वसूल किए जाने वाले शेषों का पता लगाने के लिए, के०लो०नि०वि० के लेखा तंत्र के अंतर्गत कर्ज जमा और धन प्रेषण के अधीन, क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा बुक किए गए कारोबारों का विश्लेषण किया जा रहा है।

7. कर्मचारी भविष्य निधि की स्थापना पिछले वर्ष की गई। यह योजना, उपयुक्त सदस्यों के लिए, 1-1-78 (बैरा स्यूल परियोजना के लिए 20-1-78) से 31-12-78 तक की अवधि के लिए ऐच्छिक रूप से खुली थी और 1-1-79 से अनिवार्य थी। आयकर आयुक्त से इस निधि को अनुमोदित निधि मानने के लिए कहा गया है।

भविष्य निधि शेषों का पूर्व-हस्तांतरण, जो भारत सरकार के पास था, अभी कम्पनी को हस्तांतरित होना है। इस विषय में सरकार से पत्राचार हो रहा है। जब तक यह हस्तांतरण नहीं हो जाता, तब तक बराबर के योगदान और सदस्यों के अंशदान व मालिकों के योगदान पर ब्याज का नियमन, सदस्यों से वसूल किए गए अंशदान के संदर्भ में किया गया है।

भविष्य निधि ट्रस्ट का संगठन हो चुका है और चालू लेन-देनों के लिए इस निधि में राशि देने का कार्य शुरू हो चुका है।

8. लोकतक परियोजना के निर्धारित हस्तांतरण मूल्य, 32,32,62,200/- रुपये में, वे 61,10,000/-रुपये भी शामिल हैं जो मणिपुर सरकार से, उनसे वसूल किए जाने वाले सिंचाई अंग से संबद्ध परियोजना के फलस्वरूप, भारत सरकार को प्राप्त हुए। कम्पनी को परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करते समय, मणिपुर सरकार से प्राप्त निधि कम्पनी को नहीं दी गई थी, हालांकि इक्विटी शेयरों और उधारों को मिला कर पूरा हस्तांतरण मूल्य

अनुसूची 'ज' (जारी)

32,32,62,200/- रुपये माना गया था। भारत सरकार को इस संदर्भ में प्राप्त धनराशि को कम्पनी को दिए जाने का मामला भारत सरकार के सामने उठाया गया है।

31-3-79 के अन्त तक किए गए कार्य के हिस्से के लिए अपने योगदान के रूप में मणिपुर सरकार ने 201 लाख रुपये की जो राशि देनी थी, जो परियोजना में, प्रगति कर रहे मुख्य कार्यों के रूप में लिखी गई है, वह तुलन पत्र में, देयताओं वाली और "मणिपुर सरकार से योगदान" के रूप में दर्शाई गई है और उनको देय राशि, परिसंपत्तियों वाली तरफ चालू परिसंपत्तियों के रूप में दिखाई गई है।

9. वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्यालय के निवल व्यय का विनियोजन, पारेषण निर्माण एककों में 2% की दी हुई दर पर किया गया है और शेष का, अनुपातिक रूप से हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजनाओं में।

पारेषण लाइनों का निर्माण, डिपाज़िट कार्यों के रूप में, संबंधित राज्य सरकारों व ने०थ०पा०का० द्वारा प्रारंभ किया गया और किए जाने वाले शेष डिपाज़िट कार्यों की अनुमानित कीमत 2,370·18 लाख रुपये के आस पास है। सलाल व देवीघाट परियोजनाओं का निर्माण भी, भारत सरकार की ओर से एजेंसी आधार पर करना शुरू किया गया है और किए जाने वाले शेष कार्य की अनुमानित कीमत 15,350/- लाख रुपये है।

10. विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान निम्न रूप से हैं :—

		रुपये
(i)	उपस्कर के आयात के लिए	17,33,076/-
(ii)	विदेशी दौरों पर हुआ खर्च	9,287/-
(iii)	टेंडर फार्मों की खरीद	754/-

11. प्रभारित मूल्य ह्रास सीधी लाइन विधि पर है और उसकी गणना, परिसंपत्तियों और उनके वर्गीकरण के ब्यौरों का एकत्रिकरण होने तक, अस्थायी दरों पर की गई है। जैसा कि नोट 18 में उल्लिखित है लोकतक परियोजना के मामले में विविध उपस्कर का मूल्य ह्रास भी 10 प्रतिशत की तदर्थ दर से किया गया है। बैरा स्यूल परियोजना के विशेष उपकरण एवं संयंत्र के संबंध में ह्रास का प्रभार, हस्तांतरण से पहले अपनाए जाने वाले व्यवहार के अनुसार परम्परागत दरों पर किया गया है। समान दरों पर ह्रास की व्यवस्था करने और अंतर यदि कोई हो के समंजन संबंधी सारी नीति पर अगले वर्ष के लेखों में पुन: विचार करने का प्रस्ताव है।

निर्माण कार्यों से हस्तांतरित, प्रयोगाधीन परिसंपत्तियों के संबंध में, 43,26,479/- रुपये का ह्रास पिछले वर्षों से संबंधित है।

12. **आकस्मिक देयताएं**

7·00 लाख रुपये की एक आकस्मिक देयता, एक कोर्ट केस के संबंध में है और 13·42 लाख रुपये की, बैरा स्यूल परियोजना में एक ठेकेदार के दावे के संबंध में।

13. बैरा स्यूल परियोजना में, वर्ष के दौरान, भारी वर्षा तथा हिमस्खलन के कारण हुई हानि का निर्धारण अभी होना है।

14. मूलधन की वापसी में, पहले पांच वर्ष के लिए मोहलत मिलती है अत: अभी मूलधन की वापसी देय नहीं है। जहां तक ब्याज की अदायगी का प्रश्न है, परियोजनाओं के निर्माण पूर्ण होने तक, भारत सरकार द्वारा मोहलत दिए जाने का मामला विचाराधीन है।

15. कम्पनी ने अभी राजस्व क्रियाएं प्रारंभ नहीं की हैं। बोनस अदायगी अधिनियम की धारा 16 (i) के अंतर्गत बोनस देय नहीं है। अत: बोनस की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

16. कम्पनी ने ग्रेच्यूटी के नियम बना लिए हैं। एक्चुअरी की सलाह पर, ग्रेच्युटी की देयता के लिए, अंतिम रूप से 4 लाख रुपये का हिसाब लगाया गया है और उसकी व्ययवस्था की गई है।

अनुसूची 'ज' (जारी)

17. यह मान कर कि नियत तिथि पर अदायगी कर दी जाएगी, अतः 1/4% की छूट दी जा सकती है, 1977-78 की अवधि के लिए $10\frac{1}{2}$% की बजाय $10\frac{1}{4}$% की दर से ब्याज देयता निकाली गई। फिर भी इसकी अदायगी आस्थगित कर दी गई है और अन्तर की व्यवस्था चालू वर्ष में कर दी गई है।

18. परियोजनाओं में काम आ रही परिसंपत्तियां, पहले वर्षों में निर्माणाधीन कार्यों के रूप में मानी गई थीं। इस वर्ष उन्हें पृथक करके, इसी रूप में, अलग से "स्थायी परिसंपत्तियां" शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया गया है।

अनुसूची 'घ' में क्रम सं० 6 पर दिखाई गई 3,07,90,941 रुपये की विविध उपस्कर की मद कारपोरेशन-पूर्व अवधि से संबंधित है, जिसके लिए विवरण एकत्रित किए जा रहे हैं।

19. पहले वर्षों के लेखा में, तकनीकी पुस्तकों की लागत, मुख्य परिसंपत्तियों के रूप में मानी गई थी। अब इन्हें व्यय माना गया है और इसी रूप में प्रभारित किया गया है।

20. इस वर्ष के दौरान 'अपना निजी टेलीफोन' (ओ०वाई०टी०) के संस्थापन पर हुआ व्यय, इस वर्ष के लिए व्यय माना गया है और इसे, निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय में सम्मिलित किया गया है।

21. पहले वर्ष के आंकड़े आवश्यकतानुसार, उचित रूप से पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

22. 31-3-79 को ठेकों के समाप्त हो जाने पर, निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की शेष कीमत-राशि निश्चित नहीं।

23. पिछले वर्ष के लेखों में, पूर्णरूपेण प्रदत्त साम्य शेयरों की संख्या और कीमत, लोकतक व बैरा स्यूल जल-विद्युत परियोजना के संदर्भ में जिनकी खरीद के बदले में कोई आंशिक राशि नकद प्राप्त नहीं हुई, निम्न रूप से दिखाई गई :—

रुपये 1000/-प्रति शेयर की दर से पूर्णरूपेण नकद प्रदत्त 1,06,934 इक्विटी शेयर		10,69,34,000
रुपये 1000/-प्रति शेयर की दर से पूर्णरूपेण प्रदत्त 6,28,530 इक्विटी शेयर, लोकतक परियोजना के संदर्भ में जिनकी खरीद के बदले में कोई आंशिक राशि प्राप्त नहीं हुई।	16,85,30,000	
बैरा स्यूल परियोजना	46,00,00,000	62,85,30,000

वास्तविक स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए :—

पूर्णरूपेण नगद प्रदत्त 1,05,935 इक्विटी शेयर - प्रत्येक शेयर रुपये 1000/-		10,59,35,000
रुपये 1000/-प्रति शेयर की दर से पूर्णरूपेण प्रदत्त 62,95,29 इक्विटी शेयर, जिनकी खरीद के बदले में कोई आंशिक राशि नकद प्राप्त नहीं हुई—		
लोकतक परियोजना	16,85,29,000	
बैरा स्यूल परियोजना	46,10,00,000	62,95,29,000

पिछले वर्ष के लेखों में यह असंगति, कंपनियों के रजिस्ट्रार को बताई गई और इस वर्ष तदनुरूप शुद्धियां की गईं।

24. अनुसूची 'च', में क्रम संख्या 5 के अंतर्गत लोकतक परियोजना के सामने रुपये 31,53,299/-की राशि 1-7-76 से से 15-7-76 तक, महालेखाकार, मणिपुर द्वारा किए गए भुगतान के रूप में दी गई है। परियोजना के विभागीय कार्यालयों के रिकार्डों के संदर्भ में, इसके विवरणों का मेल-मिलाप हो रहा है।

25. वर्ष 1977-78 के लिए भारत सरकार से

अनुसूची 'ज' - (जारी)

अरक्षित ऋणों पर उपचित एवं देय ब्याज पिछले वर्ष अनजाने में चालू देयताओं के अंतर्गत दिखा दिया गया था। इस वर्ष यह ठीक ठीक दिखाया गया है।

26. निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय की 12,50,18,850/-रुपये (पिछले वर्ष 3,96,30,879 रुपये) की रकम में भारत सरकार से लिए एक ऋण पर 7,62,42,254 रुपये (पिछले वर्ष 2,58,98,107/- रुपये) की ब्याज की रकम शामिल है।

मेजर जनरल टी० वी० जगन्नाथन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	वी० सुब्रामनियन निदेशक(वित्त)	एन० वी० रामन सचिव

कृते एस० के० जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाऊन्टेंट्स

नई दिल्ली,
दिनांक : 21 सितंबर, 1979

एस० के० जैन
भागीदार

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने मैसर्स नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० के 31 मार्च, 1979 तक के अनुबद्ध तुलन पत्र तथा निगम के उसी तारीख को समाप्त होने वाले प्रासंगिक व्यय विवरण का लेखा परीक्षण किया है जिसकी रिपोर्ट नीचे दी जा रही है :—

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अंतर्गत कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्माता व अन्य कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 1975 के अनुसार पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण संलग्न अनुबंध में प्रस्तुत हैं।

2. ऊपर पैरा 1 में संदर्भित हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि :—

(i) पर्याप्त सूचना के अभाव में निम्न का सत्यापन नहीं हो सका :—

(क) मशीन व यन्त्रों के किराया प्रभार

(ख) भण्डार व फालतू पुर्जों की खपत तथा ठेकेदारों व अन्य स्रोतों से वसूलियां

(ग) प्राप्त किराया।

(ii) पुष्टियों/लेखों के विवरण के अभाव में सप्लायरों व ठेकेदारों के लेखे, प्राप्त सिक्यूरिटियां व बयाना, महालेखाकार, मणिपुर से कैश सैटलमेंट सस्पैन्स, नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन से जमा का सत्यापन नहीं हो सका।

(iii) लिफ्ट सिंचाई कम्पोनेंट के हिस्से के तौर पर मणिपुर सरकार से प्राप्त होने वाली 201 लाख रुपये की राशि का हिसाब हो गया है जैसा कि लेखों की अनुसूची 'ज' की टिप्पणी नं० 8 में संदर्भित है।

(iv) लेखों की अनुसूची 'ज' की टिप्पणी नं० 5 में संदर्भित लेखा परीक्षकों को जेब खर्च के रूप में देय खर्चों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(v) केन्द्रीय बिक्री कर देयता की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(vi) लेखों की अनुसूची 'ज' के टिप्पणी नं० 13 में संदर्भित बैरा स्यूल परियोजना में भी वर्षा एवं हिमस्खलन के कारण हुई क्षति के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(vii) लेखों की अनुसूची 'ज' के टिप्पणी नं० 11 में संदर्भित बैरा स्यूल और लोकतक परियोजनाओं के मामले में चल रहे कार्यों से हस्तांतरित प्रयोगाधीन परिसंपत्तियों का मूल्य-ह्रास पहले वर्षों के लिए भी कर दिया गया है और लोकतक परियोजना के संबंध में 1977-78 और 1978-79 के वर्ष के लिए परिसंपत्तियों जिनका ब्यौरा एकत्रित नहीं किया जा सका, का मूल्य-ह्रास तदर्थ आधार पर 10% से किया गया है।

(viii) लेखों की अनुसूची 'ज' की टिप्पणी नं० 17 में संदर्भित भारत सरकार से ऋणों पर वर्ष 1977-78 के लिए 1/4% की अतिरिक्त ब्याज देयता बनाई गई है।

हमारे पूर्ववर्ती कथन के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं :—

1. हमने सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

2. जहां तक कम्पनी के लेखों की जांच से मालूम होता है हमारी राय में कम्पनी ने कानून द्वारा अपेक्षित समुचित लेखे रखे हैं।

2. संलग्न तुलन पत्र, प्रासंगिक व्यय लेखा और प्रासंगिक व्यय विनियोजन लेखा तथा हमें दिखाई गई लेखा पुस्तकों में पूर्ण अनुकूलता है।

4. हमारी राय व जानकारी तथा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखों से कम्पनी अधिनियम,

1956 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना मिलती है तथा

(i) 31 मार्च, 1979 को निगम की परिस्थितियों के तुलन पत्र के संबंध में, और

(ii) निगम के उस तारीख को समाप्त वर्ष के व्यय के प्रासंगिक खर्च तथा प्रासंगिक खर्च विनियोजन लेखा के विवरण संबंधी बातों का सही और उचित अवलोकन प्राप्त होता है।

कृते एस० के० जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाऊन्टेंट्स
एस० के० जैन
भागीदार

नई दिल्ली,
दिनांक : 21 सितम्बर, 1979

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट पैरा 1 में संदर्भित लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध।

1. निगम ने जहां तक लोकतक परियोजना तथा बेतिया ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिट का संबंध है, स्थितीय ब्यौरों को छोड़कर परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा है। बैरा स्यूल परियोजना, देवीघाट परियोजना, सलाल परियोजना तथा अन्य ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटों के लिए परिसंपत्ति रजिस्टर नहीं रखे गए हैं। प्रबंधक वर्ग ने परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया है।

2. इस वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

3. प्रबंधकों के कथन के अनुसार भंडार एवं फालतू पुर्जों का वास्तविक सत्यापन तो कर लिया गया है परन्तु उसके परिणाम जांच के लिए हमारे सामने नहीं रखे गए क्योंकि उन्हें अपने इस वास्तविक सत्यापन के परिणामों का समाधान करना है। इस प्रकार के भंडारों का मूल्य लागत पर किया गया है, जैसा कि प्रबंधकों द्वारा प्रमाणित किया गया है, और जिसका हमने सत्यापन कर लिया है।

4. निगम ने न तो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई कर्ज लिया है और न ही कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 के अन्तर्गत कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण लिया है।

5. निगम ने ऋण के रूप में किसी प्रकार का कोई ऋण या पेशगी नहीं दी है।

6. हमारी राय में तथा हमारे लेखा परीक्षा के दौरान दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार भंडारों, फालतू पुर्जों, संयंत्र व मशीनरी, उपस्कर तथा अन्य परिसंपत्तियों की खरीद के लिए व्यापार के आकार व प्रकार के अनुरूप सिवाए देवीघाट परियोजना के, सभी परियोजनाओं/ट्रांसमिशन लाइनों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया मौजूद है।

7. निगम ने किसी ऐसी फर्म, कम्पनी या अन्य पार्टियों, जिनमें किसी निदेशक की दिलचस्पी हो, से 10,000 रुपये से अधिक मूल्य के कोई भण्डार या इतने ही मूल्य के कोई फालतू पुर्जे नहीं खरीदे हैं।

8. जैसा कि ऊपर पैरा 3 में बताया गया है, भंडारों का सत्यापन प्रबंधकों द्वारा किया जा चुका है। उसके परिणाम-स्वरूप हमें यह बताया गया कि उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा था। वास्तविक सत्यापन के परिणामों के अभी तक अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण बेकार और क्षति-ग्रस्त भंडारों और फालतू पुर्जों का अंदाजा

नहीं लगाया जा सका और न ही लेखों में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है।

9. निगम ने जन-साधारण से किसी प्रकार का राशि जमा (डिपाजिट) नहीं लिया है।

10. हमारी सूचना के अनुसार किसी प्रकार के उपोत्पादनों या रद्दी माल आदि का उत्पादन नहीं किया जाता। अत: उचित रिकार्ड की आवश्यकता नहीं है।

11. इस अवधि के दौरान कम्पनी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है जो, हमारे मूल्यांकन के अनुसार, इसके कार्य के आकार प्रकार के अनुरूप नहीं है।

12. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1)(डी) के अन्तर्गत मूल्य रिकार्डों का रख-रखाव केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

13. भविष्य निधि राशियां 31.12.78 तक उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं कराई गई हैं क्योंकि निगम ने उस तारीख तक भविष्य निधि नियमावली लागू नहीं की थी। उसके बाद योजना को अनिवार्य कर दिया गया और भविष्य निधि राशियां समय पर ट्रस्ट के पास जमा करा दी गईं।

कृते एस० के० जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाऊन्टेंट्स
एस० के० जैन
भागीदार

नई दिल्ली,
दिनांक : 21 सितंबर, 1979

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

मुझे यह कहना है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1979 को समाप्त वर्ष के लेखों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं है।

एस० एस० रॉयचौधरी
सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड एवं
निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा

भोपाल
दिनांक : 23 सितंबर, 1979

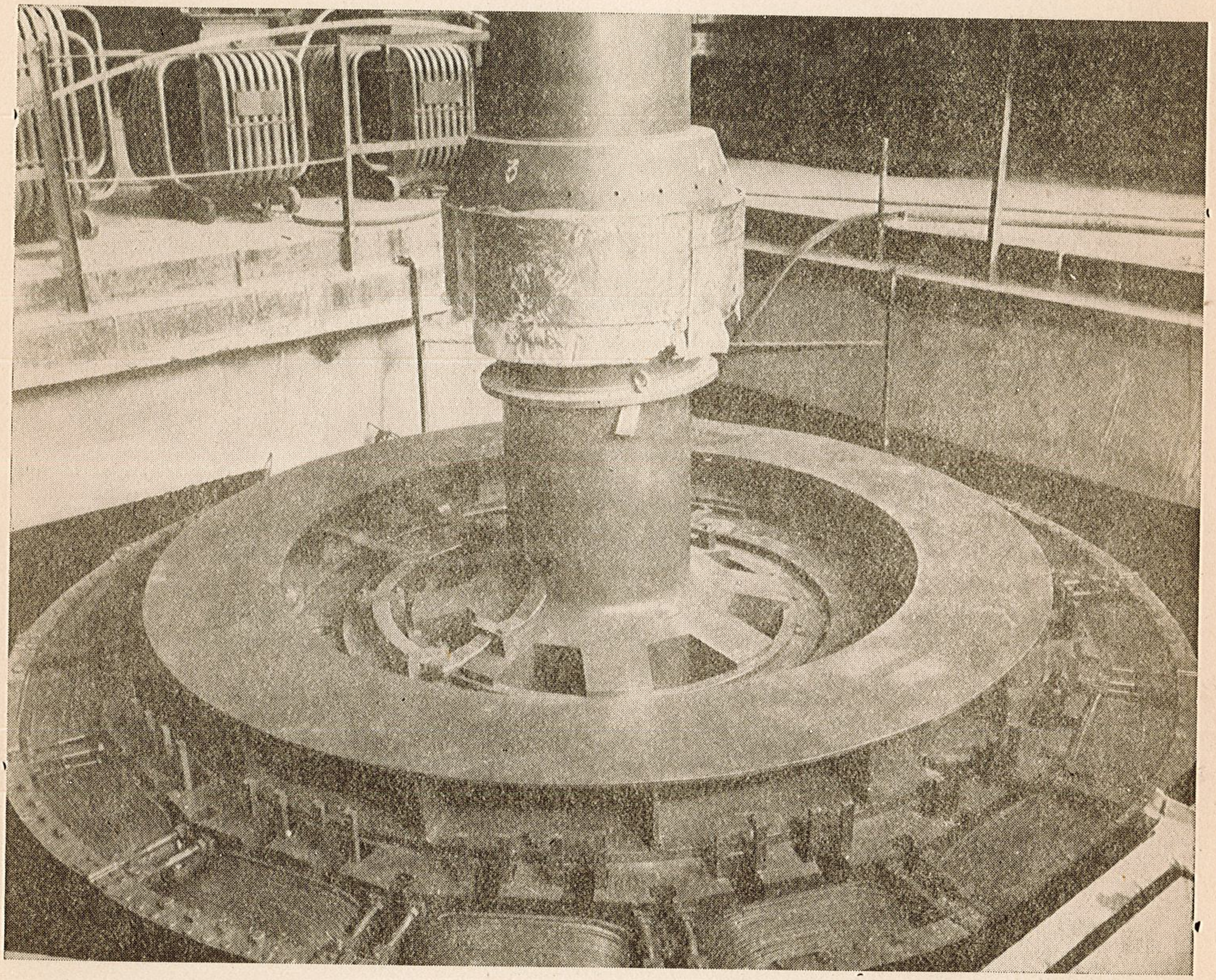

बैरासूल परियोजना में निर्माणाधीन
का एक दृश्य ।

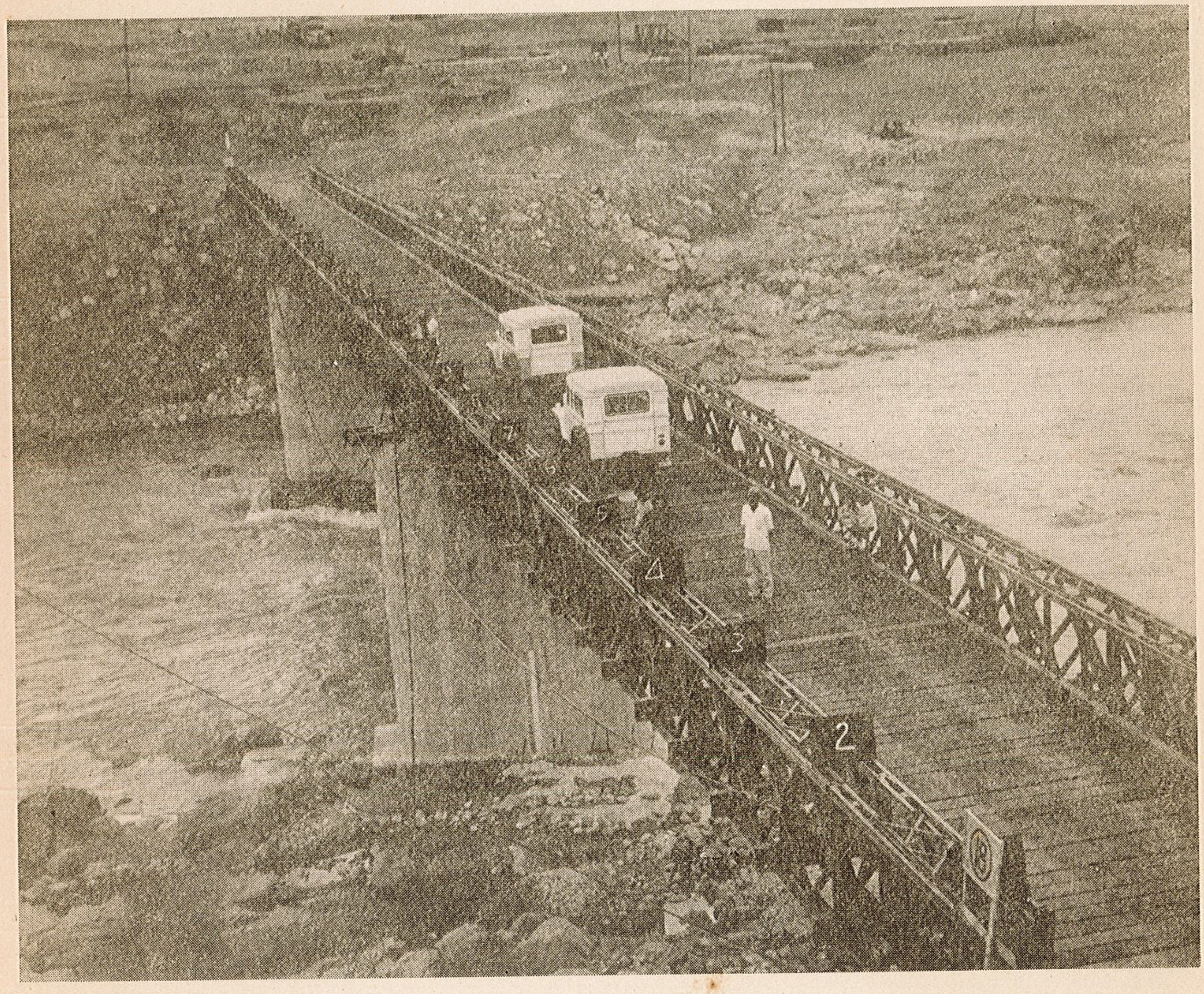

बेली ब्रिज—देवीघाट परियोजना